

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 38]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 21 सितम्बर 2012—भाद्र 30, शक 1934

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 अगस्त 2012

क्र. ई-1-293-2012-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे के अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाये गये पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:—

क्र.	अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समक्ष घोषित किया गया है (4)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्रीमती सूरज डामोर (1994), सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आदिमजाति कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति कल्याण एवं विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध धुमक्कड़ जाति कल्याण विभाग तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (अतिरिक्त प्रभार).	सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग.	-

3465

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	श्री जॉन किंग्सली ए.आर. (2004), संचालक, ग्रामीण रोजगार एवं राज्य कार्यक्रम अधिकारी समग्र स्वच्छता अभियान.	मिशन संचालक, समग्र सामाजिक सुरक्षा-सह-संचालक पंचायती राज.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन

(2) श्री जॉन किंग्सली ए. आर. भाप्रसे (2004) की मूल पदस्थापना मिशन संचालक, समग्र सामाजिक सुरक्षा के पद पर रहेगी और मिशन संचालक, समग्र सामाजिक सुरक्षा का पद सृजन होने तक की अवधि के लिए उनके वेतन का आहरण संचालक, पंचायती राज के पद के विरुद्ध किया जाएगा.

(3) इस विभाग के समसंख्यक आदेश क्रमांक ई-1-208-2012-5-एक, दिनांक 14 जून, 2012 जिसके द्वारा श्रीमती पुष्पलता सिंह, भाप्रसे (1998) को अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग पदस्थ किया गया है, एतद्वारा निरस्त किया जाता है. श्रीमती पुष्पलता सिंह, भाप्रसे (1998) की पदस्थापना पुर्वानुसार संचालक, ग्रामीण रोजगार रहेगी.

भोपाल, दिनांक 29 अगस्त 2012

क्र. ई-1-73-2012-5-एक.—भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की अधिसूचना क्रमांक 13017-12-2012-AIS(I), दिनांक 3 अगस्त 2012 द्वारा श्रीमती सोनाली एन. वायंगणकर, भाप्रसे (2000), अपर आयुक्त, वाणिज्यिक, इन्दौर की सेवाएं अतः संवर्गीय प्रतिनियुक्ति पर "5 वर्ष" के लिए मध्यप्रदेश संवर्ग से महाराष्ट्र संवर्ग को सौंपी गई है.

(2) अतः, राज्य शासन श्रीमती सोनाली एन. वायंगणकर, भाप्रसे (2000) को महाराष्ट्र संवर्ग में कार्यभार ग्रहण करने के लिए तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त करता है.

क्र. ई-5-861-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती के. वासुकी, आयएस., अनुविभागीय अधिकारी जावरा, जिला रतलाम को दिनांक 27 अगस्त से 7 सितम्बर 2012 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 26 अगस्त एवं 8, 9 सितम्बर 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती के. वासुकी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी जावरा, जिला रतलाम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती के. वासुकी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती के. वासुकी अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

भोपाल, दिनांक 3 सितम्बर 2012

क्र. ई-5-830-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री संकेत भोंडवे शांताराम, आयएस., कलेक्टर, अशोकनगर को दिनांक 21 अगस्त से 1 सितम्बर 2012 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 2 सितम्बर 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री संकेत भोंडवे शांताराम की अवकाश अवधि में श्री उपेन्द्रनाथ शर्मा, अपर कलेक्टर, जिला अशोकनगर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, अशोकनगर का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री संकेत भोंडवे शांताराम को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, अशोकनगर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री संकेत भोंडवे शांताराम द्वारा कलेक्टर, अशोकनगर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री उपेन्द्रनाथ शर्मा, कलेक्टर, अशोकनगर के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री संकेत भोंडवे शांताराम को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संकेत भोंडवे शांताराम अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-1-334-2012-5-एक.— नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे/राप्रसे के अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाये गये पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:—

क्र.	अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समक्ष घोषित किया गया है
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री पंकज अग्रवाल (1992), सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग.	आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं	-
2	श्री रवीन्द्र पस्तौर (1992), मिशन डायरेक्टर, एन.आर.एच.एम.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना.	संभागीय आयुक्त
3	श्री मनोहर अगनानी (1993), आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं.	आयुक्त एकीकृत बाल विकास सेवा, मध्यप्रदेश तथा पदेन मिशन संचालक, अटल बिहारी वाजपेयी बाल आरोग्य एवं पोषण तथा आयुक्त, महिला सशक्तिकरण तथा पदेन प्रबंध संचालक, महिला वित्त एवं विकास निगम का अतिरिक्त प्रभार.	संभागीय आयुक्त
4	श्री नीरज मंडलोई (1993), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना.	सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग.	-
5	श्री अनुपम राजन (1993), संचालक, महिला सशक्तिकरण तथा पदेन प्रबंध संचालक, महिला वित्त एवं विकास निगम.	अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग.	-
6	श्री डी. डी. अग्रवाल (1995), आयुक्त, एकीकृत बाल विकास सेवा, मध्यप्रदेश तथा पदेन मिशन संचालक, अटल बिहारी वाजपेयी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन.	मिशन डायरेक्टर, एन.आर.एच.एम.	संभागीय आयुक्त
7	श्री मनीष सिंह, राप्रसे (1993), प्रबंध संचालक, ए.के.वी.एन. भोपाल.	प्रबंध संचालक, ए.के.वी.एन. इंदौर.	-

(2) उपरोक्तानुसार श्री मनीष सिंह, राप्रसे (1993) द्वारा प्रबंध संचालक, ए.के.वी.एन. इंदौर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री संजय दुबे, भाप्रसे (1993), श्रम आयुक्त, मध्यप्रदेश, प्रबंध संचालक, वित्त निगम एवं प्रबंध संचालक, ए.के.वी.एन. इंदौर केवल प्रबंध संचालक, ए.के.वी.एन. इंदौर के प्रभार से मुक्त होंगे.

भोपाल, दिनांक 7 सितम्बर 2012

क्र ई-5-802-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री आर. ए. खण्डेलवार, आयएएस., आयुक्त-सह-संचालक, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी, भोपाल को दिनांक 24 से 29 सितम्बर 2012 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ 23 सितम्बर एवं 30 सितम्बर 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री आर. ए. खण्डेलवार को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त-सह-संचालक, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री आर. ए. खण्डेलवार को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. ए. खण्डेलवार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 11 सितम्बर 2012

क्र ई-1-342-2012-5-एक.—डॉ. (श्रीमती) गोपा पाण्डे, भावसे, (1982), मुख्य वन संरक्षक (नियोजन), विकास मुख्यालय, भोपाल की सेवाएं वन विभाग से, सामान्य प्रशासन विभाग में ली जाकर उन्हें अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, महानिदेशक, आरसीव्हीपी नरोन्हा प्रशासन अकादमी के विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (विधिक एवं सतर्कता प्रकोष्ठ) पदस्थ किया जाता है।

उपरोक्तानुसार डॉ. (श्रीमती) गोपा पाण्डे, भावसे (1982) द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अनुराग श्रीवास्तव, भावसे (1986), आयुक्त-सह-संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी मध्यप्रदेश तथा महानिदेशक, आरसीव्हीपी नरोन्हा, प्रशासन अकादमी के विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (विधिक एवं सतर्कता प्रकोष्ठ) का अतिरिक्त प्रभार, केवल महानिदेशक, आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी के विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (विधिक एवं सतर्कता प्रकोष्ठ) के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. परशुराम, मुख्य सचिव.

सामान्य प्रशासन विभाग

(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 सितम्बर 2012

क्र. एफ-11-127-2012-सूअप्र-एक-9.—राज्य शासन, एतद्वारा, माननीय श्री इकबाल अहमद, मुख्य सूचना आयुक्त, मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग, भोपाल को दिनांक 22,23,24,25

एवं 27 अगस्त, 2012 (कुल 5 दिवस) के आकस्मिक अवकाश की अनुमति एवं दिनांक 22,23,24,25 एवं 27 (26 अगस्त 2012 को शासकीय अवकाश) कुल 05 दिवस एल. टी. सी. यात्रा की अनुमति प्रदान की जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ऊषा परमार, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 5 सितम्बर 2012

क्र ई-5-869-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 22 अगस्त 2012 द्वारा श्री अजय गुप्ता, आयएएस., अनुविभागीय अधिकारी, शुजालपुर जिला शाजापुर को दिनांक 16 जुलाई 2012 से 30 जुलाई 2012 तक 15 दिन का पितृत्व अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया गया है, के पैरा-2 में उल्लेखित अनुविभागीय अधिकारी, महु जिला इंदौर के स्थान पर अनुविभागीय अधिकारी, शुजालपुर जिला-शाजापुर पढ़ा जाये।

(2) शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. एस. तोमर, अवर सचिव "कार्मिक"

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 सितम्बर 2012

शुद्धि-पत्र

क्र. एफ-ए 03-60-2005-1-पांच (32).—इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-03-06-2005-1-पांच (11), दिनांक 1 अप्रैल 2012 जो "मध्यप्रदेश राजपत्र" (असाधारण) क्रमांक 175, दिनांक 1 अप्रैल 2012 में पृष्ठ क्रमांक 350 से 350 (3) में प्रकाशित हुई है, का निम्नलिखित शुद्धिपत्र प्रकाशित किया जाता है:—

अशुद्ध मुद्रित हुए अंक	राजपत्र के पृष्ठ तथा पंक्ति जिसमें वह अंक आये हैं	शुद्ध अंक जो पढ़े जाएं
	पृष्ठ	पंक्ति
(1)	(2)	(3)
06	350	36
06	350(2)	17
		05
		05

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. के. जैन, उपसचिव.

गृह (सामान्य) विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 सितम्बर 2012

क्र. एफ-01-55-2009-दो-ए(3).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 05 सितम्बर, 2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. व्ही. सिंह, उपसचिव.

गृह विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 सितम्बर 2012

क्र. एफ-01(ए) 308-79-ब-2-दो.— इस विभाग के आदेश क्र. एफ-1(ए) 211-96-ब-2-दो, दिनांक 4 अगस्त 2012 द्वारा श्री रमेश शर्मा, भापुसे, महानिदेशक राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो मध्यप्रदेश भोपाल को दिनांक 20 अगस्त से 7 सितम्बर 2012 तक कुल उन्नीस दिवस का अर्जित अवकाश दिनांक 18, 19 अगस्त एवं 8 सितम्बर 2012 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ निजी विदेश यात्रा में सिंगापुर जाने हेतु स्वीकृत करते हुये उक्त अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री विजय कटारिया, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, राआअअ ब्यूरो, भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ-साथ संपादित किये जाने के आदेश जारी किये गये हैं।

(2) श्री विजय कटारिया, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, राआअअ ब्यूरो, भोपाल के दिनांक 30 अगस्त 2012 से निरंतर अवकाश पर रहने के कारण राज्य शासन द्वारा श्री रमेश शर्मा, भापुसे महानिदेशक राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो मध्यप्रदेश भोपाल की शेष अर्जित अवकाश अवधि दिनांक 4 से 7 सितम्बर 2012 तक के लिये श्री आदर्श कटियार, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, राआअअ ब्यूरो, भोपाल को महानिदेशक, राआअअ ब्यूरो, भोपाल के पद का कार्य अपने कार्य के साथ-साथ अतिरिक्त रूप से सम्पादित करने हेतु आदेशित किया जाता है।

(3) श्री रमेश शर्मा, भापुसे, महानिदेशक राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो मध्यप्रदेश भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे।

(4) पूर्व आदेश दिनांक 4 अगस्त 2012 की शेष कंडिकाएं यथावत रहेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इन्द्रनील शंकर दाणी, अपर मुख्य सचिव.

श्रम विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 सितम्बर 2012

क्र. एफ-4(डी)1-2012-ए-सोलह.— श्रम विभाग द्वारा पूर्व में प्रसारित अधिसूचना क्रमांक एफ-4(डी) 1-2004-ए-सोलह, दिनांक 25 जनवरी 2007 को निरस्त करते हुए, राज्य शासन मध्यप्रदेश औद्योगिक नियोजन (स्थायी अज्ञाएं) अधिनियम, 1961 की धारा 3 के चरण (ए) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्द्वारा श्री एल. पी. पाठक, उप श्रमायुक्त मुख्यालय, इन्दौर को इस अधिसूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से समस्त राज्य के लिये "सर्टिफाईंग आफिसर" नियुक्त करता है।

No. F.-4(D)1-2012-A-XVI.— In exercise of the powers conferred under Section 3(a) of the Madhya Pradesh Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1961 and in super session of the previous Notification No.4(D) 1-2004-A-XVI, Bhopal, dated 25th January 2007 the state Government hereby appoint Shri L. P. Pathak, Deputy Labour Commissioner, head Quarter, Indore as the Certifying Officer for the Whole of the State of Madhya Pradesh.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजीव श्रीवास्तव, उपसचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 11 सितम्बर 2012

फा. क्र. 1-अ-3-03-इक्कीस-ब(दो).— राज्य शासन, महाधिवक्ता कार्यालय जबलपुर, इन्दौर एवं ग्वालियर में पदस्थ निम्नलिखित अतिरिक्त महाधिवक्ता, उप महाधिवक्ता, शासकीय अधिवक्ता, उप शासकीय अधिवक्ता, जिनका कार्यकाल दिनांक 11 सितम्बर 2012 एवं 15 सितम्बर 2012 तक का था, के कार्यकाल में एतद्द्वारा दिनांक 11 सितम्बर 2012 एवं 16 सितम्बर 2012 से 15 अक्टूबर 2012 तक की वृद्धि करता है।

महाधिवक्ता कार्यालय, जबलपुर में पदस्थ विधि
अधिकारीगण

क्रमांक (1)	अधिवक्ता का नाम (2)	पद (3)	गतनियुक्ति दिनांक (4)
1.	श्री प्रशांत सिंह	अतिरिक्त महाधिवक्ता	15-7-2011
2.	श्री कुमरेश पाठक	उप महाधिवक्ता	15-7-2011
3.	श्री पुरुषेन्द्र कौरव	उप महाधिवक्ता	15-7-2011
4.	श्री राहुल जैन	उप महाधिवक्ता	15-7-2011
5.	श्री सुदेश वर्मा	शास. अधिवक्ता	15-7-2011
6.	श्री रोहणी प्रसाद तिवारी	शास. अधिवक्ता	15-7-2011
7.	श्री विवेक अग्रवाल	शास. अधिवक्ता	15-7-2011
8.	श्रीमती शीतल दुबे	शास. अधिवक्ता	15-7-2011
9.	श्री उमेश पाण्डे	शास. अधिवक्ता	15-7-2011
10.	श्री एस. के. कश्यप	शास. अधिवक्ता	15-7-2011
11.	श्री एस.एस. बिसेन	शास. अधिवक्ता	15-7-2011
12.	श्री अशोक चौरसिया	शास. अधिवक्ता	15-7-2011
13.	श्रीमती निर्मला नायक	शास. अधिवक्ता	15-7-2011
14.	श्री शिवमोहनलाल	शास. अधिवक्ता	15-7-2011
15.	श्री राहुल कुमार जैन पुत्र श्री जिनेन्द्र कुमार जैन	शास. अधिवक्ता	15-7-2011
16.	श्री पियुष धर्माधिकारी	शास. अधिवक्ता	15-7-2011
17.	श्री योगेश दांडे	उप शास. अधिवक्ता	15-7-2011
18.	श्री संजय द्विवेदी	शास. अधिवक्ता	12-9-2011
19.	श्री राजेश तिवारी	शास. अधिवक्ता	12-9-2011
20.	श्री अखिलेन्द्र सिंह	शास. अधिवक्ता	12-9-2011
21.	श्री समीर चिले	शास. अधिवक्ता	12-9-2011
22.	श्री चन्द्रकान्त मिश्रा	शास. अधिवक्ता	12-9-2011
23.	श्री अखिलेश शुक्ला	उप शास. अधिवक्ता	12-9-2011
24.	श्री मनीष मिश्रा	उप शास. अधिवक्ता	12-9-2011

अति. महाधिवक्ता कार्यालय, इन्दौर में पदस्थ विधि
अधिकारीगण

क्रमांक (1)	अधिवक्ता का नाम (2)	पद (3)	गतनियुक्ति दिनांक (4)
1.	श्री मनोज द्विवेदी	अति. महाधिवक्ता	15-7-2011

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	श्री बनवारीलाल यादव	उप महाधिवक्ता	15-7-2011
3.	श्री दीपक रावल	शास. अधिवक्ता	15-7-2011
4.	श्री शिवदत्त बोहरा	शास. अधिवक्ता	15-7-2011
5.	श्री सी. आर. कर्णिक	शास. अधिवक्ता	15-7-2011
6.	श्री मुकेश परवाल	शास. अधिवक्ता	15-7-2011
7.	श्री प्रमोद मीठा	शास. अधिवक्ता	15-7-2011
8.	श्री भुवन देशमुख	शास. अधिवक्ता	15-7-2011
9.	श्री रघुवीर सिंह चौहान	शास. अधिवक्ता	15-7-2011
10.	श्री लड्डूलाल शर्मा	उप शासकीय अधिवक्ता.	15-7-2011
11.	श्री राघवेन्द्र सिंह बैस	उप शासकीय अधिवक्ता.	15-7-2011
12.	श्रीमती विनिता फाये	उप शासकीय अधिवक्ता.	12-9-2011
13.	सुश्री मिनी रविन्द्रन	उप शासकीय अधिवक्ता.	12-9-2011

अति. महाधिवक्ता कार्यालय, ग्वालियर में पदस्थ विधि
अधिकारीगण

क्रमांक (1)	अधिवक्ता का नाम (2)	पद (3)	गतनियुक्ति दिनांक (4)
1.	श्री एम. पी. एस. रघुवंशी	अति. महाधिवक्ता	15-7-2011
2.	श्री विवेक खेड़कर	उप महाधिवक्ता	15-7-2011
3.	श्री आर. पी. राठी	शा. अधिवक्ता	15-7-2011
4.	श्री मुकुन्द भारद्वाज	शा. अधिवक्ता	15-7-2011
5.	श्री प्रवीण निवासकर	शा. अधिवक्ता	15-7-2011
6.	श्रीमती निधी पाटनकर	शा. अधिवक्ता	15-7-2011
7.	श्री प्रवल प्रताप सोलंकी	शा. अधिवक्ता	15-7-2011
8.	श्री राघवेन्द्र दीक्षित	शा. अधिवक्ता	15-7-2011
9.	श्री बी. के. शर्मा	शा. अधिवक्ता	15-7-2011
10.	श्री भगवान राज पांडे	शा. अधिवक्ता	15-7-2011
11.	श्री प्रमोद पचौरी	उप शा. अधिवक्ता	15-7-2011
12.	कु. नूतन सक्सेना	शा. अधिवक्ता	2-8-2011

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. खान, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 12 सितम्बर 2012

फा. क्र. 1-बी-41-04-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 4 जुलाई 2004 के द्वारा श्री राजमणि सिंह, अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/ अतिरिक्त लोक अभियोजक, (फास्ट ट्रेक कोर्ट) अमरपाटन, जिला सतना को नियुक्त किया गया था.

श्री राजमणि सिंह, अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/ अतिरिक्त लोक अभियोजक, (फास्ट ट्रेक कोर्ट) अमरपाटन, जिला सतना को विधि विभाग की विभागीय नियमावली के नियम 20 के अन्तर्गत 62 वर्ष की आयु पूर्ण हो जाने से तत्काल प्रभाव से आदेश जारी होने के दिनांक से कार्यमुक्त करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल वर्मा, सचिव.

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 सितम्बर 2012

क्र. डी-15-15-2012-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (24 सन् 1973) की धारा 3 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अधीन जारी की गई, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक डी-15-15-2012-चौदह-3, दिनांक 9 जुलाई 2012 के द्वारा राज्य सरकार ने जबलपुर जिले की तहसील पाटन में समाविष्ट समस्त राजस्व एवं वन ग्रामों के क्षेत्र में कृषि उपज के क्रय-विक्रय को विनियमन करने के लिये पाटन में पृथक् मण्डी स्थापित करने की घोषणा की थी.

अतएव, कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (24 सन् 1973) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये उक्त अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई कृषि उपज के संबंध में जबलपुर जिले की तहसील पाटन के समस्त राजस्व एवं वन ग्रामों के क्षेत्र में कृषि उपज के क्रय-विक्रय को विनियमन करने के लिये पाटन में पृथक् मण्डी स्थापित करती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हेमराज सिंह, अवर सचिव.

भोपाल, दिनांक 10 सितम्बर 2012

क्र. डी-15-15-2012-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की

समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 10 सितम्बर 2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा, प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हेमराज सिंह, अवर सचिव.

Bhopal, the 10th September 2012

No.D-15-15-2012-XIV-3.—WHEREAS, by this Department Notification No. D-15-15-2012-XIV-3 dated 9th July 2012 issued under the provision of sub-section (1) of Section 3 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973) the State Government hereby declares its intention to establish a Seperate market at Patan for regulating the purpose and sale of the Agricultral produce mentioned in the Schedule of the said Act, including all Revenue and Forest Villages of Tehsil Patan in Jabalpur District.

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Section 4 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam 1972 (No. 24 of 1973) the State Government hereby establish a separate market at Patan for regulating the purchase and sale of the Agurcultural produce mentioned in the/act. including all revenue and Forest Villages of the Tehsil Patan in Jabalpur District.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
HEMRAJ SINGH, Under Secy.

भोपाल, दिनांक 10 सितम्बर 2012

क्र. डी-15-15-2012-चौदह-3.—चूँकि, राज्य शासन ने मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 3 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अधीन जारी की गई इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 10 अगस्त 1976 द्वारा जिला जबलपुर की तहसील पाटन के मण्डी क्षेत्र में (जो इसमें इसके पश्चात् "उक्त मण्डी क्षेत्र" के नाम से निर्दिष्ट है), उक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट कृषि उपजों के क्रय-विक्रय को विनियमित किया था.

और, चूँकि, राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 70 की उपधारा (1) के खण्ड (तीन) के उपबन्धों के अधीन जारी की गई इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक डी-15-15-2012-चौदह-3, दिनांक 9 जुलाई 2012 द्वारा जबलपुर जिले की पाटन तहसील

में स्थित ग्रामों में समाविष्ट क्षेत्र (जो इसमें इसके पश्चात् "उक्त मण्डी क्षेत्र" के नाम से निर्दिष्ट है) को विपाटित करके "उक्त मण्डी क्षेत्र" की सीमाओं में परिवर्तन करने का आशय संज्ञापित किया था.

अतएव, मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (24 सन् 1973) की धारा 71 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह निर्देश देती है कि इस अधिसूचना के "मध्यप्रदेश राजपत्र" में प्रकाशित होने के दिनांक से "उक्त मण्डी क्षेत्र" को जबलपुर जिले की पाटन मण्डी के "उक्त क्षेत्र से" विपाटित करके मण्डी क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन करने के अपने आशय को संज्ञापित करती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हेमराज सिंह, अवर सचिव.

भोपाल, दिनांक 10 सितम्बर 2012

क्र. डी-15-15-2012-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 10 सितम्बर 2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा, प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हेमराज सिंह, अवर सचिव.

Bhopal, the 10th September 2012

No.D-15-15-2012-XIV-3.—WHEREAS, by this Department Notification even No. dated 10th August 1976 issued under the provisions of Section 3 of sub-section (1) of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1960 (No. 19 of 1960) the State Government hereby regulated the purchase and sale of the Agricultural produce specified in the said Notification in the area of Tehsil Patan in Jabalpur District, (here in after referred to as the "said market area").

AND, WHEREAS, by this department Notification No. D-15-15-2012-XIV-3, dated 9th July 2012 issued under the provision of clause (iii) of sub-section (1) of Section 70 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government has signifies it's intention to alter the limit of the said Market area by split up there from the area comprising of Villages situated in Patan Tehsil of Jabalpur Diestric, (here in after referred to as the said area).

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (2) of Section 71 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government hereby signifies it's intention to establish a sepearte market at Patan by splitting the "said market area" from the "said area."

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
HEMRAJ SINGH, Under Secy.

भोपाल, दिनांक 10 सितम्बर 2012

क्र. डी-15-15-2012-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 10 सितम्बर 2012 द्वारा स्थापित कृषि उपज मण्डी समिति पाटन के अन्तर्गत मण्डी क्षेत्र के निम्नलिखित स्थान उस पर बने समस्त संरचना, अहाता, खुला स्थान या परिक्षेत्र को मण्डी प्रांगण घोषित करती है, अर्थात्:—

स्थान

ग्राम पंचायत पाटन, तहसील पाटन, जिला जबलपुर में स्थित शासकीय कृषि प्रक्षेत्र पाटन की 6.403 हेक्टर भूमि का खसरा नं. एवं क्षेत्रफल निम्नानुसार है:—

क्रमांक (1)	खसरा क्रमांक (2)	क्षेत्रफल (एकड़ में) (3)
1	399/2	0.040
2	400/1	2.388
3	401/2	0.340
4	405/3	0.730
5	405/2	0.625
6	406/2	1.910
7	918/2	0.100
8	920/4	0.080
9	921/2	0.190
योग . .		6.403

जिसकी सीमाएं

उत्तर में—पाटन जबलपुर सड़क मार्ग

दक्षिण में—श्री नारायण प्रसाद वल्द नन्हेंलाल अग्रवाल का खेत

पूर्व में—श्री जलजकुमार वल्द रामकिशोर का खेत

पश्चिम में—पाटन शहपुरा (भितौनी) सड़क एवं अन्य काश्तकारों की भूमि.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हेमराज सिंह, अवर सचिव.

भोपाल, दिनांक 10 सितम्बर 2012

क्र. डी-15-15-2012-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 10 सितम्बर 2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हेमराज सिंह, अवर सचिव.

Bhopal, the 10th September 2012

No. D-15-15-2012-XIV-3.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government hereby declared the following area including all structures, enclosure, open places or locality in the market area for which a market at Patan has been established by this Department's Notification even No. dated 10th September 2012 shall be the market yard namely:—

PLACE

An area of 6.403 Acrs land of Gram Panchayat Patan in Tehsil Patan of District Jabalpur:—

S. No. (1)	Khasra No. (2)	Area (in Hectres) (3)
1	399/2	0.040
2	400/1	2.388
3	401/2	0.340
4	405/3	0.730
5	405/2	0.625
6	406/2	1.910
7	918/2	0.100
8	920/4	0.080
9	921/2	0.190
Total.		6.403

BOUNDED BY

On the North by—Patan Jabalpur Road-way.

On the South by—Land of Shree Narayan Prshad
S/o Nanhelal Agrwal.

On the East by—Land of Shree Jalajkumar S/o
Ramkeshore.

On the West by—Patan Shapura (Bhitoni) Road &
Land of Formar.

By order and in the name of the Governor
of Madhya Pradesh,
HEMRAJ SINGH, Under Secy.

भोपाल, दिनांक 10 सितम्बर 2012

क्र. डी-15-15-2012-चौदह-3.— मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 10 सितम्बर 2012 के अधीन घोषित मंडी प्रांगण के संबंध में मंडी क्षेत्र पाटन, जिला जबलपुर के निम्नलिखित क्षेत्र को मूल मंडी क्षेत्र घोषित करती है:—

क्षेत्र

- (1) ग्राम पंचायत पाटन, तहसील पाटन, जिला जबलपुर की सीमाओं के भीतर का क्षेत्र.
- (2) मूल मंडी प्रांगण से 5 किलोमीटर की परिधि के भीतर आने वाले निम्नलिखित ग्रामों को समाविष्ट करता हुआ क्षेत्र :—

1. मेहगांव, 2. हड़ा, 3. पौडी, 4. बेलखेड़ी, 5. पिपरिया,
6. टिमगावां, 7. भौरदा, 8. पथरौरा, 9. हरदुआ,
10. देवरी, 11. सुरैया, 12. सिमरिया, 13. रिमझा,
14. छत्तरपुर, 15. सिंगौरी, 16. गाढाघाट, 17. हरदुबा,
18. निम, 19. महुआखेड़ा, 20. मदना, 21. वासन.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हेमराज सिंह, अवर सचिव.

भोपाल, दिनांक 10 सितम्बर 2012

क्र. डी-15-15-2012-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 10 सितम्बर 2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हेमराज सिंह, अवर सचिव.

Bhopal, the 10th September 2012

No. D-15-15-2012-XIV-3.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government hereby declare that in the relation to the market yard vide this Department's Notification even number dated 10th September, 2012, the following area of Patan of District Jabalpur Shall be proper market yard:—

AREA

(1) An area within the limit of Gram Panchayat Patan in Tehsil Patan of District Jabalpur.

(2) An area comprising of the following Villages within the radius of 5 Kilometers from the main marker yard namely:—

1. Mahganw, 2. Heda, 3. Poudi, 4. Balkhedi, 5. Pipriya, 6. Timgawa, 7. Bhourda, 8. Pathrora, 9. Hardua, 10. Dewri, 11. Suriaya, 12. Simriya, 13. Rimgha, 14. Chhattarpur, 15. Singori, 16. Gadaghat, 17. Harduwa, 18. Nimi, 19. Mehuakheda, 20. Medhna, 21. Wasan.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
HEMRAJ SINGH, Under Secy.

भोपाल, दिनांक 13 सितम्बर 2012

क्र. डी-15-20-2012-चौदह-3.— मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (24 सन् 1973) की धारा 3 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अधीन अधिसूचना क्र. 160-6837-चौदह-3, दिनांक 13 जनवरी 1977 द्वारा राज्य सरकार ने छतरपुर जिले की बिजावर तहसील के ग्राम बड़ामलहरा के विकासखण्ड के समाविष्ट क्षेत्र में विनिर्दिष्ट कृषि उपज के क्रय-विक्रय का विनियमन करने के लिये बड़ामलहरा मण्डी को "उक्त मण्डी क्षेत्र" स्थापित करने की घोषणा की थी.

"उक्त मण्डी क्षेत्र" में मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा अधिसूचना क्रमांक 162-6387-चौदह-3, भोपाल, दिनांक 13 जनवरी 1977 द्वारा मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (24 सन् 1973) की धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, छतरपुर जिले की बिजावर तहसील में स्थित ग्राम बड़ामलहरा में स्थित खसरा क्रमांक 1607 में निहित 0.295 हेक्टेयर भूमि के क्षेत्र को मण्डी प्रांगण घोषित किया गया था. जो इसके पश्चात् "उक्त प्रांगण क्षेत्र" के नाम से निर्दिष्ट है.

"उक्त प्रांगण क्षेत्र" में मण्डी समिति द्वारा कराये गये निर्माण कार्य निम्नानुसार हैं, अर्थात्:—

1. कृषि उपज मण्डी समिति बड़ामलहरा, कार्यालय.	81.76 वर्गमीटर
2. जन सुविधा व्यवस्था	8.10 वर्गमीटर
3. 4 दुकानें	76.86 वर्गमीटर
4. गोदाम	303.60 वर्गमीटर
5. गोदाम के लिये रास्ता	176.00 वर्गमीटर

कुल योग . .	646.32 वर्गमीटर
अर्थात्	0.064632 हेक्टेयर.

अतः, मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 70 की उपधारा (1) का खण्ड (चार) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा जनहित में कृषि उपज मण्डी समिति बड़ामलहरा के "उक्त प्रांगण क्षेत्र" के कुल रकबा 0.295 हेक्टेयर में से उपरोक्त वर्णित कुल 0.064632 हेक्टेयर को छोड़कर शेष 0.230368 हेक्टेयर को "उक्त मण्डी" के उक्त प्रांगण क्षेत्र से वातिल (डी-नोटीफाई) करने की आशय की घोषणा करती है.

किसी भी ऐसे आपत्ति या सुझाव पर जो किसी भी व्यक्ति से इस अधिसूचना के "मध्यप्रदेश राजपत्र" में प्रकाशित होने की दिनांक से 6 सप्ताह की कालावधि के भीतर प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग को प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जावेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हेमराज सिंह, अवर सचिव.

भोपाल, दिनांक 13 सितम्बर 2012

क्र. डी-15-20-2012-चौदह-3.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 13 सितम्बर 2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हेमराज सिंह, अवर सचिव.

Bhopal, the 13th September 2012

No. D-15-20-2012-XIV-3.—The Government of Madhya Pradesh had issued Notification No. 160-6837-XIV-3, dated 13th January 1977 under Krishi

Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973) to establish a market for regulating the purchase and sale of Agricultural produce in the area comprising of Development Block of Badamalhra (hereinafter referred as the "said market area") in Bijawar Tehsil of Chhatarpur District.

Government of Madhya Pradesh had issued Notification No. 162-6387-XIV-3, dated 13th January 1977 declaring Khasra No. 1607 having area of 0.295 Hectare of land at Badamalhra (hereinafter referred as "said market yard") in the "said market area."

In the above said market yard the market committee has constructed the following structures; namely:—

1. Office	81.76 sq. mtr.
2. Public Facility	8.10 sq. mtr.
3. Shops-4 Nos.	76.86 sq. mtr.
4. Godown	303.60 sq. mtr.
5. Road for Godown	176.00 sq. mtr.
Total . .	646.32 sq. mtr. (0.064632 Hectare).

Now, in exercise of the powers conferred by clause (iv) of sub-section (1) of Section 70 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government hereby declares its intention to alter the "said market yard" by d-notifying the area of 0.230368 hectare and retaining as detailed above an area of 0.064632 hectare from the total Notified area of 0.295 hectare.

Any objection which may be received in writing to the Principal Secretary, Government of Madhya Pradesh, Farmer Welfare & Agriculture Development, Bhopal from any person with respect of this Notification within Six Weeks from the date of publication of this Notification in Madhya Pradesh Gazette will be considered by the State Government.

By order and in the name of the Governor
of Madhya Pradesh,
HEMRAJ SINGH, Under Secy.

महिला एवं बाल विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 सितम्बर 2012

क्र. 2052-1557-12-पचास-2.—किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 4 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में यथाविनिर्दिष्ट निम्नलिखित किशोर न्याय बोर्ड का गठन, कालम (3) में यथाविनिर्दिष्ट जिलों के लिये करती है और उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए, उसके (अनुसूची के) क्रमशः (4) में यथाविनिर्दिष्ट सामाजिक कार्यकर्ताओं को नियुक्त करती है, अर्थात् :—

		अनुसूची	
क्र.	किशोर न्याय बोर्ड और उसका मुख्यालय	जिलों के नाम	सामाजिक कार्यकर्ताओं के नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	विदिशा	विदिशा	1. श्री सुरेन्द्र रघुवंशी 2. श्रीमती अर्पणा शेवणे
2	देवास	देवास	1. डॉ. मनीषा बाफना

No. 2052-1557-2012-L-2.—In exercise of the power conferred by sub-section (1) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act, 2000 the State Government hereby Constitute the following Juvenile Justice Boards as specified in the column (2) of the Schedule below, for the Districts as specified in column (3) and appoints Social Workers as specified in the column (4) respectively thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such boards under the said Act, namely:—

SCHEDULE

S. No.	Name of the Juvenile Justice Board & its Head Quarter	Jurisdiction (Revenue District)	Name of the Honorary Social Workers
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Vidisha	Vidisha	1. Shri Surendra Raghuvanshi. 2. Ms. Aparna Shevde
2.	Dewas	Dewas	1. Dr. Manisha Bafna.

क्र. 2053-1557-12-पचास-2.—किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, (क) नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट बाल कल्याण समिति का, उसके (अनुसूची के) कालम (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के लिए गठन करती है, और (ख) उसके (अनुसूची के) कालम (4) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित व्यक्तियों को नियुक्त करती है अर्थात् :—

अनुसूची

स.क्र.	बाल कल्याण समिति के मुख्यालय का जिला	अधिकारिता के अन्तर्गत आने वाले (राजस्व जिले)	अवैतनिक सामाजिक कार्यकर्ताओं के नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	विदिशा	विदिशा	1. श्रीमती मंजरी जैन अध्यक्ष 2. श्रीमती रंजना शरण सदस्य 3. श्री राहुल त्रिवेदी सदस्य 4. श्रीमती रेखा वर्मा सदस्य 5. डॉ. नवीन शर्मा सदस्य
2	देवास	देवास	1. श्री दिलीप मेहता अध्यक्ष 2. श्रीमती ऋतु व्यास सदस्य 3. श्रीमती कृष्णा पंवार सदस्य

No. 2053-1557-12-L-2.—In exercise of the power conferred by sub-section (1) and (2) of the Section 29 of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children)

Act, 2000, the State Government hereby constitute the following Child Welfare Committee as specified in column (2) of the Schedule below, for the Districts as specified in the column (3) and appoints Social Workers as specified in column (4) respectively, thereof for the purposes of exercising the powers and discharging the duties conferred on such committees under the said Act, namely :—

SCHEDULE

S. No.	Name of the Child Welfare Committees & its District Head Quarter	Jurisdiction (Revenue District)	Name of the Honorary Social Workers
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Vidisha	Vidisha	1. Smt. Manjri Jain —Chairperson. 2. Smt. Ranjna Sharan —Member. 3. Shri Rahul Tirvedi —Member. 4. Smt. Rekha Varma —Member. 5. Dr. Naveen Sharma —Member.
2	Dewas	Dewas	1. Shri Dilip Mehta —Chairman. 2. Smt. Reetu Viyas —Member. 3. Smt. Krishna Pvar —Member.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. आर. नायडू, प्रमुख सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग
“निर्वाचन भवन”

58, अरेरा हिल्स, भोपाल, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 10 सितम्बर 2012

आदेश

क्र. एफ. 67-88-10-तीन-1589.—मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम, अधिनियम, 1956 की धारा 14-क के अनुसार महापौर के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके

निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम, अधिनियम, 1956 की धारा 14-ख के अनुसार महापौर का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी “निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997” “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)”,

दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा।

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगरपालिक निगम, देवास, जिला देवास के आम निर्वाचन में सुश्री लक्ष्मी बाबुलाल जी सोनी, महापौर पद की अभ्यर्थी थीं। इस नगरपालिका के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ। मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर 14 जनवरी 2010 तक सुश्री लक्ष्मी बाबुलाल जी सोनी को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, देवास के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, देवास के पत्र दिनांक 21 जनवरी 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार सुश्री लक्ष्मी बाबुलाल जी सोनी द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया।

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सुश्री लक्ष्मी बाबुलाल जी सोनी को कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 4 फरवरी, 2010 को जारी किया गया। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, देवास के पत्र दिनांक 19 अप्रैल 2012 में प्रतिवेदित है कि अभ्यर्थी सुश्री लक्ष्मी बाबुलाल जी सोनी को कारण बताओ नोटिस तहसीलदार एवं निर्वाचन रजि. अधिकारी, तहसील देवास के माध्यम से तामीली हेतु भेजा गया था। लेकिन सुश्री लक्ष्मी बाबुलाल जी सोनी द्वारा नोटिस लेने से इंकार किया गया प्रमाणस्वरूप कार्यालय तहसीलदार एवं निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, तहसील देवास का पत्र दिनांक 13 मार्च 2012 एवं नोटिस की प्रति पर भृत्य की टीप भी अंकित है कि —“दिनांक 7 मार्च 2012 को संबंधित को तामील करवाने घर गया लेने से इन्कार”। कारण बताओ नोटिस में सुश्री लक्ष्मी बाबुलाल जी सोनी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था। नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जाएगा।

अभ्यर्थी सुश्री लक्ष्मी बाबुलाल जी सोनी को नोटिस उनके घर दिनांक 7 मार्च 2012 को तामीली हेतु भेजा गया था, जो कि उनके द्वारा लेने से इन्कार किया गया तथा इस संबंध में अपना कोई जवाब/

अभ्यावेदन भी दिनांक 22 मार्च 2012 तक प्रस्तुत नहीं किया। डिप्टी कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी, देवास ने अपने प्रतिवेदन दिनांक 31 मई 2012 द्वारा अपना अभिमत प्रेषित किया, जिसमें प्रतिवेदित है कि “अभ्यर्थी सुश्री लक्ष्मी बाबुलाल जी सोनी को आयोग द्वारा जारी किये गये नोटिस के संबंध में प्रतिवेदन दिनांक 31 मई 2012 तक व्यय लेखा अथवा विलम्ब से लेखा प्रस्तुति के संबंध में कोई अभ्यावेदन इस कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया है।

आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी सुश्री लक्ष्मी बाबुलाल जी सोनी को दिनांक 11 अक्टूबर 2012 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया। इस संबंध में अभ्यर्थी सुश्री लक्ष्मी बाबुलाल जी सोनी को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना-पत्र दिनांक 26 जून 2012 सीधे अभ्यर्थी को रजि. डाक से एवं कलेक्टर, देवास के माध्यम से तामीली हेतु भेजा गया था। लेकिन अभ्यर्थी ने उक्त सूचना-पत्र भी लेने से इन्कार कर दिया गया। उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि सुश्री लक्ष्मी बाबुलाल जी सोनी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं जब उन्हें व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करने के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया तब उन्होंने लेने से इन्कार किया। फिर भी आयोग द्वारा उन्हें एक और मौका दिया जाकर व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सूचना-पत्र जारी किया गया, लेकिन वह भी उन्होंने लेने से इन्कार कर दिया गया। अत आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है।

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत सुश्री लक्ष्मी बाबुलाल जी सोनी को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगरपालिक निगम, देवास, जिला देवास का पार्षद या महापौर होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिये निरहित (अयोग्य) घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(सुभाष जैन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, मुख्य अभियन्ता (विद्युत् सुरक्षा) एवम् मुख्य विद्युत् निरीक्षक
क-खण्ड, तृतीय मंजिल, सतपुड़ा भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 28 अगस्त 2012

क्र. अ.मं.-वि.टे-निरस्ती-2012-13-1666-मु.अ.—मध्यप्रदेश अनुज्ञापन मण्डल (विद्युत्) विनियम, 1960 के निम्न प्रकार से विनियमों का पालन न करने के फलस्वरूप विद्युत् ठेकेदार अनुज्ञप्तियां निरस्त हुईं हैं जिनकी सूचियां संलग्न हैं:—

1. विनियम 26(2) के तहत पर्यवेक्षक द्वारा कार्य छोड़ने के दिनांक से 6 माह में दूसरे पर्यवेक्षक की नियुक्ति न किये जाने के कारण विद्युत् ठेकेदार अनुज्ञप्ति स्वतः निरस्त हो चुकी है. अतः पर्यवेक्षक के कार्य छोड़ने के दिनांक से विद्युत् ठेकेदार द्वारा जारी की गई कार्यपूर्ति/परीक्षण रिपोर्ट अमान्य है. संलग्न सूची क्रमांक (1) वि.टे. संख्या-128.
2. विनियम, 29 के तहत दिनांक 30 जून 2012 तक आगामी वर्ष अवधि 2012-14 तक के लिये विद्युत् ठेकेदार अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण न कराये जाने के कारण अनुज्ञप्ति स्वतः निरस्त हो चुकी है. अतः दिनांक 1 जनवरी 2012 से विद्युत् ठेकेदार द्वारा जारी की गई कार्यपूर्ति/परीक्षण रिपोर्ट अमान्य है—संलग्न सूची क्रमांक (2) वि.टे. संख्या-87.
3. सूची क्रमांक (3) में अंकित विद्युत् ठेकेदारों द्वारा उनकी अनुज्ञप्ति स्वयं के अनुरोध पर निरस्त की गई है. अनुमति के निरस्तीकरण दिनांक से कार्यपूर्ति/परीक्षण रिपोर्ट अमान्य है. संलग्न सूची क्रमांक (3) वि. टे. संख्या-12.

ए. के. दुबे, सचिव

मध्यप्रदेश अनुज्ञापन मण्डल (विद्युत्) भोपाल.

सूची क्रमांक (1)

पर्यवेक्षक के कार्य छोड़ने के पश्चात् 6 माह तक पर्यवेक्षक की नियुक्ति न होने के कारण निरस्त अनुज्ञप्ति की सूची

क्रमांक	विद्युत् ठेकेदार का नाम/पता	कार्य छोड़ने का दिनांक	अनुज्ञप्ति क्रमांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1	मे. मीनाक्षी मैन्यूफेक्चर्स एण्ड फेब्रीकेटर्स प्राय. लिमि. टी.एस. 19, नवलखा, इन्दौर (म.प्र.).	1-2-2012	949—“अ”
2	श्री सुरेश कुमार गुप्ता, मे. तरून इलै. मेन रोड, सिंगरौली-सीधी (म.प्र.).	12-9-2011	15/1463—“अ”
3	श्री आनन्द, गोयल, प्रो. मे. शंकर इंजी. कम्पनी, गोयल भवन, लश्कर-ग्वालियर (म.प्र.).	15-9-2011	03/1601—“अ”

(1)	(2)	(3)	(4)
4	श्रीमती लीला जादौन, द्वारा अवंशे इलै. एण्ड कंस्ट्रक्शन, 7, बिरला नगर, ग्वालियर (म.प्र.).	31-10-2010	03/1684—“अ”
5	श्री मधुसुदन मेहतो, बी-2/07, शीतल नगर, बैरसिया रोड, भोपाल (म.प्र.).	1-8-2011	28/1719—“अ”
6	श्री जम्मू बेग, मे. जे.पी. इलै. वर्क्स, विन्ध्या नगर रोड, बैढन, सीधी (म. प्र.).	15-12-2011	15/1747—“अ”
7	स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर्स लिमि., 92-ए, इण्डस्ट्रियल एरिया, गोविन्दपुरा, भोपाल (म.प्र.).	1-7-2011	28/1915—“अ”
8	श्री अरविन्द साहू, 101, मंगलवारा, छावनी रोड, भोपाल (म.प्र.).	8-8-2011	28/1930—“अ”
9	श्री कृष्णपाल सिंह कुशवाह, प्रो. साई इंटरप्राइजेज, मिट्टू की बगिया, पंडित कॉलोनी, भिण्ड (म.प्र.).	31-5-2011	2/2038—“अ”
10	कु. गीता सिंह, रूद्राक्ष इंजी. एण्ड कंसलटेंसी, आर-53, झोन-2, एम. पी. नगर, भोपाल (म. प्र.).	31-12-2011	28/2069—“अ”
11	श्री संजय कुमार त्रिवेदी, 41, द्वारकापुरी, पी. एण्ड टी. कालोनी के पास, भोपाल (म.प्र.).	15-1-2012	05/2139—“अ”
12	श्री दीपक शर्मा, प्रो. नीलम इलै. ग्राम-पचोखर, पो. गोदरी, रीवा (म.प्र.).	1-6-2011	13/2166—“अ”
13	श्री आकाश अग्रवाल, 5-ए, कालानी बाग, ए.बी. रोड, देवास (म.प्र.).	5-11-2011	20/2262—“अ”
14	श्री राजीव सिंह, 5, यादव कॉलोनी, कटोरा ताल रोड, लश्कर ग्वालियर.	17-5-2011	03/2283—“अ”
15	श्री नितिन राय, सांडिया रोड स्कूल के पास, पिपरिया होशंगाबाद (म.प्र.).	10-7-2011	32/2309—“अ”
16	इंजी. यू. डी. शर्मा, आ. श्री जी. एल. शर्मा, कुसुमांजलि स्कूल, टिकुरिया टोला, सतना (म.प्र.).	31-8-2011	12/2335—“अ”

(1)	(2)	(3)	(4)
17	श्री प्रमोद भावसार, 230, अभिनन्दन नगर, विस्तार क्रमांक-1, मंदसौर (म.प्र.).	4-2-2012	16/2432—“अ”
18	श्री देवेन्द्र गुप्ता आ. श्री कमरलाल, द्वारा—डी.के. इलेक्ट्रिक, यूको बैंक के पास, न्यू कालोनी, बैराड़, शिवपुरी (म. प्र.).	16-1-2012	05/2440—“अ”
19	श्री महेशगिर गोस्वामी आ. श्री घनश्यामजी, मुखर्जी मार्ग, नलखेड़ा, शाजापुर (म.प्र.)	23-9-2011	30/2463—“अ”
20	मेसर्स भाव्या कंस्ट्रक्शन कम्पनी, 1/21, 345, मधुरिमा इंदिरा नगर, रीवा (म.प्र.).	9-5-2011	34/2474—“अ”
21	श्री विनोद कुमार जैन आ. श्री रमेशचंद्र जैन, शिवाजी मार्ग, ब्यावरा (म. प्र.).	20-9-2011	31/2491—“अ”
22	मेसर्स साईं बाबा एसोसिएट्स, कमला गंज, ए.बी. रोड, शिवपुरी (म.प्र.)	31-3-2011	05/2504—“अ”
23	श्री मुरलीधरन पिल्लई आ. श्री भास्करन पिल्लई, द्वारा-भारत इंटरप्राइजेज, एचआईजी-52, फेस-3, श्रीकृष्णपुरम, समरधा, मण्डीदीप, रायसेन (म.प्र.).	30-9-2011	26/2505—“अ”
24	श्री रामशंकर शर्मा आ. श्री केदारप्रसाद, द्वारा-रिषीवर इलै. गुलाबगंज, आरोन, गुना (म.प्र.).	10-2-2012	06/2520—“अ”
25	श्री अतुल सक्सेना, कीर्ती नगर, राजगढ़ बायपास चौराहा, ब्यावरा, राजगढ़ (म.प्र.)	10-6-2011	31/2522—“अ”
26	श्री अवधेश कांकर, माता मोहल्ला, मुंगावली, अशोकनगर (म. प्र.)	1-4-2011	19/2527—“अ”
27	श्री दिनेश शर्मा, 347, रचना नगर, भोपाल (म.प्र.).	30-6-2011	28/2537—“अ”
28	श्री आशीष शुक्ला आ. श्री सतीश शुक्ला, ग्राम-नेवरी, कैलारस, मुरैना (म.प्र.)	30-9-2011	01/2607—“अ”
29	श्री नौशाद खान, 286, अकोदिया नाका, शुजालपुर, शाजापुर (म.प्र.).	31-1-2012	30/2638—“अ”
30	मे. आधार इन्टरप्राइजेज, 1143, राइट टउन, जहांगीराबाद, जबलपुर (म.प्र.)	31-12-2011	33/2685—“अ”

(1)	(2)	(3)	(4)
31	श्री श्रीकृष्ण शुक्ला, वेयर हाउस के पीछे, मेन रोड, महावीरपुरा, मुरैना (म.प्र.).	6-2-12	1/2714—“अ”
32	श्री शब्बीर अहमद, मे. कादरी इलै. इंजी. 28, मस्जिद मार्केट, जयंत, सीधी (म.प्र.).	4-7-2011	15/2751—“अ”
33	श्री अशोक कुमार जैन, 44, नवीन कॉलोनी, पी.टी. केम्प के पीछे, राजगढ़ (म.प्र.).	30-9-2011	31/2757—“अ”
34	श्री पंजाबराव चढाकर प्रो. प्रकाश इले. 852, झरनेश्वर कालोनी रमा नगर, नार्थ टी.टी. नगर, भोपाल (म.प्र.).	31-3-2011	28/2760—“अ”
35	श्री सुनील गोरेचा आ. श्री चंदनलाल, 45, राजसव कॉलोनी, फ्रीगंज, उज्जैन (म.प्र.).	10-3-2011	18/2775—“अ”
36	मे. रोहिनी इण्डस्ट्रियल इले. प्राय. लिमि., बीना, जिला-सागर (म.प्र.).	1-4-2011	9/2799—“अ”
37	अध्युब आदिल, टी-148-1, सुल्तानिया इन्फेन्ट्री लाइन, एमईएस, कॉलोनी, जहांगीराबाद, भोपाल (म.प्र.).	24-8-2011	28/2817—“अ”
38	श्री शरद श्रीवास्तव आ. श्री बी. एस. श्रीवास्तव, डी-11, गांधी नगर, ग्वालियर (म.प्र.).	31-12-2011	03/2890—“अ”
39	मॉ शारदा इंजी. एण्ड कंसलटेंट्सी, कृष्णागंज वार्ड, सागर (म.प्र.)	31-1-2010	9/2981—“अ”
40	मे. आदिनाथ इनकापॉरेशन, द्वितीय मंजिल, दिवान प्लाजा, वर्धा रोड, नागपुर.	1-11-2011	यूएस/3030—“अ”
41	श्री सचिन जैन आ. श्री कोमलचन्द महावीर मार्ग, सुसनेर, शाजापुर (म.प्र.).	15-2-2012	30/3049—“अ”
42	श्री खेमचन्द गुप्ता, ग्राम बैराढ़, जिला शिवपुरी (म. प्र.)	8-2-2011	05/3068—“अ”
43	श्री राजकुमार सिंह राठौर, प्रो. सिंह इलै. शिवा नगर, शिवपुरी (म.प्र.)	18-5-2011	05/3122
44	श्री ओमप्रकाश कापॉरेशन, प्रो. राजेशसिंह, 102, अमर नेस्ट, श्री नगर एक्सटेंशन इन्दौर (म.प्र.).	30-6-2011	23/3134—“अ”
45	श्री विजय कुमार शर्मा, आ. श्री मुनालाल जी, चतुर्वेदी नगर, भिण्ड (म. प्र.).	31-10-2011	02/3138—“अ”

(1)	(2)	(3)	(4)
46	मेसर्स जी. बी. कंसट्रक्शन, 103-ए, जानकी नगर, चूनाभट्टी, भोपाल (म.प्र.).	26-9-2011	28/3141—“अ”
47	श्री दौलतराम धाकड़ आ. श्री उम्मेदसिंह, ग्राम-बीलापुरा, पो. जौराई, जिला शिवपुरी (म.प्र.).	15-11-2011	05/3152—“अ”
48	श्री ललीत परमार आ. बाबूलाल जी, ग्राम-हर्राजखेड़ा, शाजापुर (म.प्र.).	15-9-2011	30/3161—“अ”
49	श्री रामप्रकाश राजोरिया, कमला सदन, संभाजीराव कॉलोनी, मुरार-ग्वालियर (म.प्र.).	29-7-2011	03/3172—“अ”
50	श्री कालीचरण त्यागी आ. श्री धनीराम, अयोध्या भवन, एम.एस. रोड, जौरा, मुरैना (म.प्र.).	23-7-2011	01/3173—“अ”
51	मे. एलपाइन कान्ट्रेक्टर एण्ड सप्लायर्स, दुकान नं. 23, जी.टी.बी. कॉम्प्लेक्स, टी.टी. नगर, भोपाल (म.प्र.).	17-10-2011	28/3177—“अ”
52	श्री अशोक सिंह भदौरिया आ. श्री भूपसिंह, 201, रायल प्रीमियम (मार्स) स्कीम नं. 74-सी, ए. बी. रोड, इन्दौर (म.प्र.).	30-5-2011	23/3178—“अ”
53	श्री विजय राठौर आ. श्री कन्हैयालाल, प्रो. एस.बी.एस. इलै. 412, सेक्टर-ए, सुखलिया-इन्दौर (म.प्र.).	19-5-2011	23/3194—“अ”
54	श्री अशोक नायक आ. श्री नन्दलाल, श्री बी. एल. जैन, ब्रांच के सामने, बण्डा, सागर (म.प्र.).	31-7-2011	09/3204—“अ”
55.	श्री कमलेश शर्मा, ग्राम-बड़पुरा, पो. रिदौली, जिला भिण्ड (म.प्र.).	26-9-2011	02/3255—“अ”
56.	श्री उदयप्रताप सिंह भदौरिया, गली नं. 2, युदनाथ नगर, भिण्डा (म.प्र.)	28-5-2011	02/3261—“अ”
57	श्री तखतसिंह चौधरी, चौधरी इंटरप्राइजेज, एचआईजी-3/48, मयूरी परिसर, अयोध्या नगर, एक्सटेंशन, भोपाल (म.प्र.).	30-9-2011	28/3269—“अ”
58	मे. टेक्नीकल एसोसिएट्स, प्रो. पुरुषार्थ शुक्ल, 3, स्टेडियम रोड, नवगांव छतरपुर (म.प्र.).	3-11-2011	08/3271—“अ”
59	श्री योगेन्द्र सिंह चौहान, 27, अशोक विहार कालोनी, शिवपुरी (म.प्र.)	30-9-2011	05/3285—“अ”

(1)	(2)	(3)	(4)
60	श्री पुष्पेन्द्र सिंह, ग्राम-अमरोली, प्रोजेक्ट, बैढन-सिंगरौली (म.प्र.).	15-1-2012	15/3299—"अ"
61	श्री नन्सूंसिंह आ. श्री बेनीसिंह, ग्राम-बेरदरा, पो. पहाड़ी, जिला सतना (म.प्र.).	30-4-2011	12/3304—"अ"
62	श्री योगेश कुमार राणा, द्वारा-श्री मनोज मालवीय, 81, भदभदा रोड, महावीर नगर उज्जैन (म.प्र.).	11-1-2012	18/3313—"अ"
63	श्री सैय्यद तारिक अली, 165-ए, हजरत निजामुद्दीन कॉलोनी, पिपलानी, भोपाल (म.प्र.).	12-9-2011	28/3322—"अ"
64	श्री विनय राय, जी-1, 32 33 गुलमोहर कालोनी, भोपाल (म.प्र.).	8-12-2011	28/3393—"अ"
65	श्री पुष्पेन्द्र श्रीवास्तव, गीतांजलि काम्पलेक्स के पास, नेहा नगर, मकरोनिया सागर (म.प्र.).	31-5-2011	09/3897—"अ"
66	श्री मोहम्मद अनीस अहमद अंसारी प्रो. मे. एलाईड इलैक्ट्रिक वर्क्स, मैन रोड, सिंगरौली, सीधी (म.प्र.).	8-5-2012	15/3407—"अ"
67	श्री अभिषेक पाण्डे, 65/1, गोपालपुरा, मक्सी रोड, उज्जैन (म.प्र.)	22-12-2011	18/3410—"अ"
68	श्री पी. एस. पटेल, सनखेड़ी कॉलोनी, बरगी नगर, जबलपुर (म.प्र.).	5-5-2011	33/3411—"अ"
69	श्री अशोक कुमार भारती, सर्वोदय चौराहा, अमहा, सीधी (म.प्र.).	4-5-2011	15/3415—"अ"
70	श्री रंजीत सिंह तोमर, 39, केशा, तह. सिरमोर, रीवा (म.प्र.).	23-5-2011	13/3416—"अ"
71	श्रीमती सुशीला शर्मा पत्नी श्री पुरुषोत्तम जी, ग्राम-सिरसोना, बढोरा, शिवपुरी (म. प्र.).	18-6-2011	05/3434—"अ"
72	श्री संतोष आ. श्री घासीराम पाटीदार, ग्राम पोस्ट-लटूरी, गेहलोत, शाजापुर (म.प्र.).	30-6-2011	30/3436—"अ"
73	श्री दिनेश कुमार शर्मा आ. श्री भैयालाल, एसएफ/1510, काली मंदिर के पास, घोड़ा डोंगरी, बैतूल (म.प्र.).	25-7-2011	34/3452—"अ"
74	श्री गजानंद मालवीय, धरमराय कुक्षी, जिला धार.	31-5-2011	22/3458—"अ"

(1)	(2)	(3)	(4)
75	श्री जान्हवी त्रिपाठी, पुष्पराज नगर, निपानिया रीवा (म.प्र.).	31-5-2011	13/3461—“अ”
76	मे. आर. के. इलेक्ट्रिकल्स, 2- जूनियर एमआईजी, श्रीकृष्णपुरम, भोपाल, (म.प्र.).	15-6-2011	28/3470—“अ”
77	श्री बंदिता इन्टरप्राइजेज, स्ट्रीट नं. 2, सदर, जबलपुर (म.प्र.).	20-6-2011	33/3471—“अ”
78	श्री नकछेदीप्रसाद पटेल, ग्राम व पोस्ट, सुपेला, जिला सीधी (म.प्र.).	15-6-2011	15/3472—“अ”
79	मे. यूनिक पावर इंजीनियरिंग, 51, कोटा बस्ती, शक्ति नगर, सोनभद्र (उ.प्र.).	23-7-2011	यूएस/3476—“अ”
80	श्री संतोष परमार आ. श्री हरिचरण जी, ग्राम-आलमपुरा (बनखेड़ी) सीहोर (म.प्र.).	25-5-2011	29/3479—“अ”
81	श्री जितेन्द्र सिंह राजपूत, 14, विनय नगर, सेक्टर-4, ग्वालियर (म.प्र.).	24-6-2012	03/3490—“अ”
82	मित्तल एजेंसीज, प्रो. रोशनलाल मित्तल, पुराना बस स्टेण्ड, श्योपुर (म.प्र.).	11-8-2011	04/3492—“अ”
83	श्री सत्यनिधि गौड़, 302, साईनाथ अपार्टमेंट, 78 स्नेह नगर, इन्दौर, (म.प्र.).	6-8-2011	23/3494—“अ”
84	मे. चन्द्रा इलै. इंजी. वर्क्स, लेबर कॉलोनी, बरगवन, बैढन, सिंगरौली (म.प्र.).	24-5-2011	15/3495—“अ”
85	श्री विक्रमसिंह बघेल आ. श्री अमरसिंह जी, क्षत्री रोड, नरेन्द्र नगर, शिवपुरी (म.प्र.).	30-6-2011	05/3496—“अ”
86	श्री संजय श्रीवास्तव, कैलाश नगर, कोटेश्वर रोड, ग्वालियर (म.प्र.).	30-9-2011	03/3512—“अ”
87	मे. प्राची इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राय. लिमि. जी-1, मंगलम होम, 24 अनूपनगर, इन्दौर (म.प्र.).	25-7-2011	23/3516—“अ”
88	श्री संदीप आ. श्री मनोहर सिंह पवार, 2980, राजीव चौक, कालापपीपल, शाजापुर (म.प्र.).	11-11-2011	30/3521—“अ”
89	श्री अमर श्रीवास्तव, ए-3, अंकित अपार्टमेन्ट, मदन महल, जबलपुर (म.प्र.).	8-9-2011	33/3519—“अ”

(1)	(2)	(3)	(4)
90	मे. सिंह इलेक्ट्रिकल वर्क्स, प्रो. मुखवेन, गोला पार्क, बस स्टेण्ड, रीवा (म.प्र.).	14-10-2011	13/3536—“अ”
91	श्री पारब्रम्ह चतुर्वेदी गोविन्द नगर, 407, एयरटेल टावर के पास, भिण्ड (म.प्र.).	31-8-2011	02/3541—“अ”
92	श्री संजय जाजू आ. श्री द्वारकादास जाजू B-G-178, SNH-74-C विजय नगर, इन्दौर, (म.प्र.).	29-8-2011	23/3547—“अ”
93	श्री गंगाचरण शर्मा आ. श्री जगमोहन, ग्राम-चौकी, पो. धरई, जिला भिण्ड (म.प्र.).	5-8-2011	02/3557—“अ”
94	श्री प्रेमसिंह दांगी, ग्राम-तरवतपुरा, तह. खिलचीपुर, जिला-राजगढ़ (म.प्र.).	16-5-2011	31/3563—“अ”
95.	श्री मोहित गौर आ. श्री संतोष गौर, रामलीला मैदान, मिसरौद, भोपाल (म.प्र.).	20-10-2011	28/3570—“अ”
96	श्री परमालसिंह यादव, ग्राम/पो. गहौरा, तह. ईसागढ़, जिला-अशोकनगर (म.प्र.).	16-11-2011	19/3574—“अ”
97	श्री इमरान खान आ. श्री अब्दुल हमीद, पटवारी कॉलोनी, श्योपुर (म.प्र.).	15-10-2011	04/3578—“अ”
98	श्री राजीव वरुआ आ. श्री शिवनारायण बरूआ, ग्राम-टीकरी, पो. जारी, जिला भिण्ड (म.प्र.).	4-11-2011	62/3581—“अ”
99	श्री विम्बधर शर्मा, ग्राम फुटौधी, पो. बाबूपुर, जिला-सतना (म.प्र.).	16-11-2011	12/3582—“अ”
100	श्री अवनीश शर्मा आ. श्री जगदीशप्रसाद, सी-52, हरिशंकरपुरम, ग्वालियर (म.प्र.).	12-12-2011	03/3592—“अ”
101	मे. दी बेस्ट टावर प्राय. लिमि.,48, चौथी मंजिल, प्लेटीनम प्लाजा, टी.टी.नगर, भोपाल (म.प्र.).	26-11-2011	28/3594—“अ”
102	मे. एन. के. आर प्रोजेक्ट, प्रो. एन. करुणाकरण रेड्डी, 1-2-29/ए/13-1, उर्दू स्कूल के सामने, हैदर नगर, कुकुटपल्ली, हैदराबाद.	30-11-2011	यूएस/3596—“अ”
103	श्री निर्भयदास मुकाती आ. श्री काशीनाथ, ग्राम-जटपुरा, पो. चारूआ, जिला हरदा (म.प्र.).	14-12-2011	42/3597—“अ”

(1)	(2)	(3)	(4)
104	श्री अमित कुमार पाण्डेय आ. श्री शिवशंकर, 11/43, तिलक नगर, रीवा (म.प्र.).	10-1-2012	13/3600—“अ”
105	श्री राजकुमार राजपूत आ. श्री स्वरूपसिंह, पिपरईर्ष पावर हाउस के पास, मुंगावली, अशोकनगर (म. प्र.).	2-12-2011	19/3604—“अ”
106	श्री इस्माइल खान आ. श्री अयूब खान, व्ही-502, रीयल प्रीमियम, स्कीम नं. 74, विजय नगर, इंदौर (म.प्र.)	3-12-2011	23/3607—“अ”
107	श्री नारायण सिंह पवार आ. श्री देवीसिंह शास्त्री कॉलोनी नसरुल्लागंज, सीहोर (म.प्र.).	20-12-2011	29/3616—“अ”
108	श्री प्रदीप कुमार शर्मा आ. श्री देवीदयाल, महेन्द्र नगर, नवादा बाग, अटेर रोड, भिण्ड (म.प्र.).	31-12-2011	02/3626—“अ”
109	श्री ललित पाटीदार आ. श्री बाबूलाल, ग्राम-परसुल्याकला, सुसनेर शाजापुर (म.प्र.).	14-12-2011	30/3639—“अ”
110	मे. सेल साईट इंजी. वर्क्स प्राय. लिमि., 402, जे.ओ.पी. प्लाजा, सेक्टर-18, गोतमबुद्धा नगर, नोएडा (उ.प्र.).	1-1-2012	यूएस./3641—“अ”
111	श्री मोहम्मद रियाज अहमद, विश्वास इंजी. वर्क्स, मेन रोड, सिंगरौली (म.प्र.).	10-1-2012	15/3644—“अ”
112	श्री महेश शर्मा आ. श्री एम.आर. शर्मा कम्पू रोड, रॉक्सी सिनेमा के सामने, लश्कर ग्वालियर (म.प्र.).	7-4-2011	03/3653—“अ”
113	श्री जितेन्द्रसिंह जादौन श्री वीरेन्द्रसिंह, मढ़ार पुल के आगे, नौगांव, छतरपुर (म.प्र.).	15-8-2011	8/3659—“अ”
114	श्री विमलेश कुमार, 102, छात्रावास, अकोड़ा, भिण्ड (म.प्र.).	24-1-2012	02/3665—“अ”
115	श्री असित दीक्षित आ. श्री रजनीकांत सरदार वार्ड, सोहागपुर, होशंगाबाद (म.प्र.).	22-12-2011	32/3667—“अ”
116	श्री कमलेश साडिया आ. श्री बंबूप्रसाद 12, संजय नगर, नानाखेड़ा, उज्जैन (म.प्र.).	20-2-2012	18/3672—“अ”
117.	श्री बृजेश शर्मा, हरिकृपा, अतुल नगर, मेहरा रोड, ठाठीपुर, ग्वालियर (म.प्र.).	8-6-2011	03/3676—“अ”
118	श्री कुलदीप यादव आ. श्री एन. एल. यादव, 30/1, ग्राम/पोस्ट बरखेड़ा, ब्यावरा, राजगढ़ (म.प्र.).	21-2-2012	31/3678—“अ”

(1)	(2)	(3)	(4)
119	श्री मृत्युंजय खत्री, जयमातादी एसो. ई-7, अरेरा कालोनी, लाला लाजपतराय सोसायटी, भोपाल (म.प्र.).	15-2-2012	28/3680—“अ”
120	श्री कमल चौधरी आ. श्री गणेश चौधरी प्रो. स्काय इंटर, 54 रूपराम नगर, इन्दौर (म.प्र.).	1-2-2012	23/3682—“अ”
121	श्री अशोक कुमार कुशवाह, आ. श्री रामचन्द्र, ए/191, वीणा नगर, सुखलिया, इन्दौर (म.प्र.).	1-2-2012	23/3685—“अ”
122	श्रीमती सुमन तिवारी आ. श्री रामस्वरूप जी, जी-2, एम.पी.ई.बी. कालोनी, पोलोग्राउण्ड, इन्दौर, (म.प्र.).	19-4-2011	23/3687—“अ”
123	श्री गिराज जैन आ. श्री घनश्यामदास, पंचशील रोड, जौरा, जिला मुरैना (म.प्र.).	1-2-2012	01/3689—“अ”
124	श्री रमेशचन्द्र धाकड़ आ. श्री नागूरामजी, 48, गुलाबबाई कॉलोनी, नागदा, उज्जैन (म.प्र.).	15-2-2012	18/3696—“अ”
125	मे. डेल्टा टेलीकॉम इंडिया प्राय. लिमि., ए-26, विद्यानगर, होशंगाबाद रोड, भोपाल (म.प्र.).	19-2-2012	28/3703—“अ”
126	श्री प्रदीप शर्मा, गल्ला मंडी, बम्बा का किनारा, भिण्ड (म.प्र.).	1-1-2012	02/3753—“अ”
127	श्री विजय सोमानी आ. श्री रमेशचन्द्र, ए-231, विवेकानंद काम्पलेक्स, हरदा (म.प्र.).	5-1-2012	42/37655—“अ”
128	श्री राजेश परमार आ. श्री लाडसिंह, ग्राम हरजीखेड़ा, पो. रोलाखेड़ी, कालापीपल, शाजापुर (म.प्र.).	20-11-2011	30/3811—“अ”

सूची क्रमांक (2)

30-8-2012 तक नवीनीकरण न कराने के कारण निरस्त अनुज्ञप्ति

क्रमांक	विद्युत् ठेकेदार का नाम/पता	अनुज्ञप्ति क्रमांक
(1)	(2)	(3)
1	श्री सुरेश चन्द्र मालवीय, गली नं. 10, खड़गपुर, खण्डवा (म.प्र.).	26—“अ”
2	श्री विजय कुमार पाठक, विजय इलै. 22, न्यू मार्केट, स्टेशन रोड, मुरैना (म.प्र.).	58—“अ”

(1)	(2)	(3)
3	श्री मोहनलाल अग्रवाल, मोहन इलै. कम्पनी, 19, महारानी रोड, इन्दौर (म.प्र.).	62—“अ”
4	श्री सिद्धेश्वर प्रसाद तिवारी, अनुराधा इलै. चाट गली, भवानी मण्डी झालावाड़ (राजस्थान).	242—“अ”
5	श्रीमती राजेन्द्र कौर पंजाबी पत्नी श्री शिवदेवसिंह पंजाबी, 6, जयश्री सिंडीकेट कालोनी, इन्दौर (म.प्र.).	260—“अ”
6	श्री परवेश कय्यूमी, फिरदोस नगर, बैरसिया रोड, भोपाल (म.प्र.).	272—“अ”
7	श्री डी. पी. वर्मा, शास्त्री वार्ड, बैतूल (म.प्र.).	331—“अ”
8	श्री कृष्णलाल सराफ, द्वारा-श्री सीताराम सराफ, बिहारी चौक, सतना (म.प्र.).	366—“अ”
9	एम. ए. खान, आकाश रेडियो कम्पनी, इब्राहीमपुरा, भोपाल (म.प्र.).	388—“अ”
10	श्री सतीश कुमार गुप्ता, ओ-3, साईड नं. 1-सिटी सेन्टर, ग्वालियर (म.प्र.).	420—“अ”
11	श्री शिवशंकर चन्द्रवंशी आ. श्री बालाराम चन्द्रवंशी, नियो इंजी. 5, 69 प्रेस कालोनी के पास आनन्दनगर भोपाल (म.प्र.).	636—“अ”
12	श्री अब्दुल अजीज खां, 28, पिंड्रान गली, घोड़ा नक्कास, भोपाल (म.प्र.).	815—“अ”
13	श्री रमाशंकर अग्रवाल, अरूणांचल कटंगी रोड, सिवनी (म.प्र.).	841—“अ”
14	श्री नीलेश जैन, 156, वाहेती कालोनी, सनावद, खरगौन (म.प्र.).	25/1274—“अ”
15	श्री टी.एम. श्रीवास्तव, प्रो. मे. व्यंकटेश इंजी. सर्विसेस बीएच-41, एन.एफ.एल. टाउनशिप, गुना (म.प्र.).	1334—“अ”
16	श्री प्रताप साबुई, मे. मेकेनिको, म. प्र. हाउसिंग फेडरेशन म. नं. 8, पम्प नं. -1, कल्पना नगर, भोपाल (म.प्र.).	28/1617—“अ”

(1)	(2)	(3)
17	श्री जितेन्द्र सक्सेना, 106, गुप्ता कालोनी, लुनियापुरा महू (म.प्र.).	23/1618—“अ”
18	श्री हरीश बाधवानी, प्रो. हरीश बाधवानी, बी-25, इन्द्रपुरी, बीएचईएल-भोपाल (म.प्र.).	28/1678—“अ”
19	श्री ओमप्रकाश पाल, प्रो. मे. ओम इले. 13, नीलगिरी कॉम्प्लेक्स, सी.टी.ओ. बैरागढ़ भोपाल (म.प्र.).	28/1689—“अ”
20	श्री ज्ञानचन्द्र जैन, 2170/ए, एकता बिहार, रतन नगर, जबलपुर (म.प्र.).	33/1725—“अ”
21	श्री देवेन्द्र कुमार चौधरी, लाल चौकी, गायत्री कॉलोनी, खण्डवा (म.प्र.).	25/1738—“अ”
22	श्री प्रकाश चौबे, 14, महालक्ष्मी मार्ग, रानीपुरा, बड़वानी (म.प्र.).	24/1743—“अ”
23	श्री लक्ष्मीप्रसाद राठौर, 780, उत्तर मिलौनीगंज, बधैयापुरा, जबलपुर (म.प्र.).	33/2182—“अ”
24	श्री सुबराती खान, रिटायर्ड अति. कार्यपालन यंत्री, क्रिश्चियन कालोनी, दमोह (म.प्र.).	11/2243—“अ”
25	श्री सुरेश परांजये 62, क्लासिक पूर्णिमा स्टेट, खजराना रोड, इन्दौर (म.प्र.).	23/2254—“अ”
26	श्री रमेशचन्द्र नागेश, मे. रमेशचन्द्र सीताराम, 545/7, नंदानगर, इन्दौर (म.प्र.).	23/2265—“अ”
27	श्री शरद कुमार आहूजा, सी-13, चेतकपुरी, झांसी रोड, लशकर ग्वालियर (म. प्र.).	03/2284—“अ”
28	श्री विजय सिंह आ. श्री आर.बी. सिंह, नेशनल बी. एड. कालेज के पीछे, उरहट, रीवा (म. प्र.).	13/2297—“अ”
29	श्री बृजेश रायकवार, द्वारा बी. आर. इलै. 630 शक्ति नगर, बदनपुर, जबलपुर (म.प्र.).	33/2305—“अ”
30	आई.सी.एस.ए. (इंडिया) लिमि. 31, एमआईजी, इन्दौर रोड, मुनी नगर उज्जैन (म.प्र.).	23/2334—“अ”
31	श्री शक्तिसिंह यादव आ. श्री रामजन्मसिंह पुरानी बस्ती, शहडोल (म.प्र.).	14/2354—“अ”

(1)	(2)	(3)
32	श्री विद्या सागर मलिक, 32/स्कीम-2 सी, शारदा कॉलोनी, जबलपुर (म.प्र.).	33/2358—“अ”
33	श्री शैलेन्द्रसिंह रघुवंशी, 10, प्रोफेसर कॉलोनी, ईसागढ़, अशोकनगर (म.प्र.).	06/2362—“अ”
34	श्री किशोर चौरै आ. श्री भूराजी, ग्राम-मोरडोंगरी, सारिणी, बैतूल (म.प्र.).	34/2365—“अ”
35	श्री अभय आनंद साहू, मे. शांति कंस्ट्रक्शन, ई-106, चिनार स्ट्रीट, मैदामिल, भोपाल (म.प्र.).	28/2366—“अ”
36	श्री संदीव यादव आ. श्री वंशीलाल यादव, मोतीवार्ड, गोठी कॉलोनी, बैतूल (म.प्र.).	34/2385—“अ”
37	श्री संतोष भाई ताम्रकार, एस.-7, महाबीर बाग, नीमच (म.प्र.).	16/2396—“अ”
38	मे. टेक्निकल एसोसिएट्स लिमि. 811, किलोमीटर फैजाबाद रोड, इस्माइलगंज, लखनऊ (उ.प्र.).	यूएस/2396—“अ”
39	श्री प्रेमकुमार खेड़िया आ. श्री विजयकुमार, 107, रॉयल रेसीडेंसी, 129 कंचन बाग इन्दौर (म.प्र.).	23/2980—“अ”
40	श्री परवेज खान आ. श्री मोहम्मद खान, 70/8, सिकन्दराबाद कॉलोनी, इन्दौर (म.प्र.).	23/2992—“अ”
41	श्री सुरेन्द्रसिंह सोलंकी, महावीर सेल्स, धोबीघाट, वाटर वर्क्स रोड, जबलपुर (म.प्र.).	33/2995—“अ”
42	श्री विकास रायकवार, द्वारा हिमांशु इले. 89, तुलसीनगर, हिनौतिया, चांदबड़, भोपाल (म.प्र.).	28/2996—“अ”
43	श्री एम. एस. खान, जवाबित लाईन, लिली सिनेमा के पास, भोपाल (म.प्र.).	28/2998—“अ”
44	श्री एन. आर. कटारे, बी-12, गायत्री इन्क्लेव, मनोरमा कॉलोनी, सागर (म.प्र.).	09/3018—“अ”
45	श्री संतोषसिंह गौर आ. श्री जयपालसिंह, द्वारा मे. एस. के. इन्टरप्राइजेज, 148, कुम्हारबाड़ी, इन्दौर (म.प्र.).	23/3029—“अ”
46	श्री मुरलीधर लालवानी, जी-73/14, साउथ टी.टी. नगर, भोपाल (म.प्र.).	28/3053—“अ”

(1)	(2)	(3)
47	श्री ब्रजेश कुमार सोनी, हरदौल वार्ड, गोरेगांव, नरसिंहपुर (म.प्र.).	35/3067—“अ”
48	मेसर्स टेक्नोक्राफ्ट, 34, झोन-1, एम.पी. नगर, भोपाल (म.प्र.).	28/3076—“अ”
49	श्री लखन सिंह रघुवंशी, पुरी कॉलोनी, आरोन, गुना (म.प्र.).	06/3080—“अ”
50	मेसर्स यूनिवर्सल टेलीकॉम ट्रेडर्स, होटल सतगुरू, सेमरिया चौक, सतना (म.प्र.).	12/3081—“अ”
51	श्री रमेशचन्द्र भिरयानी, सी-207, शुभम् कॉम्प्लेक्स, लश्कर ग्वालियर (म.प्र.).	03/3082—“अ”
52	श्री पी. बी. सिदासन, एम-220, पटेल नगर, मण्डीदीप, रायसेन (म.प्र.).	26/3088—“अ”
53	श्री दिलीपसिंह सेंगर, 120, सुखदेव नगर, एयरपोर्ट रोड, इन्दौर (म.प्र.).	23/3090—“अ”
54	श्री जफरउल्ला खां खैरागी, 19, टेगोर पार्क कालोनी, खरगौन (म.प्र.).	24/3091—“अ”
55	मो. मुबीन शागिल, 46, सईदिया स्कूल रोड, इतवारा भोपाल (म.प्र.).	28/3092—“अ”
56	मे. शलाका इन्फ्राटेक (इं.) प्राय. लिमि. 13, कमला रीजेन्सी एफ.सी. रोड, पुणे (महाराष्ट्र).	यूएस/3098—“अ”
57	श्री ईसन रेरोल लिमि. 16, एस्सारजी, होम्स, खजूरीकला रोड, पिपलानी, भोपाल (म.प्र.).	28/3102—“अ”
58	श्री संजय पाटीदार आ. श्री रामकरण, ग्राम-पो. ताखला, जिला शाजापुर (म.प्र.).	30/3108—“अ”
59	श्री रामनिवास शर्मा, 605, सुरेश नगर, ठाटीपुर, मुरार-ग्वालियर (म.प्र.).	03/3115—“अ”
60	मे. रैज साल्यूशन, बी-176, आकृति गार्डन, नेहरू नगर, भोपाल (म.प्र.).	28/3119—“अ”
61	श्री मनीष हरदेनिया आ. श्री जगदीशचन्द्र, डी/92, बृजनगर कॉलोनी, शुजालपुर-शाजापुर (म.प्र.).	30/3120—“अ”

(1)	(2)	(3)
62	श्री कुंजीलाल सोमाजी नागले, वार्ड नं. 12, म. नं. 178, दलाई महाराज का बगीचा, जुन्नारदेव, छिन्दवाड़ा (म. प्र.).	36/3121—“अ”
63	श्री मानकचन्द आ. श्री रामप्रकाश, ई-5/85, अरेरा कॉलोनी, भोपाल (म.प्र.).	28/3123—“अ”
64	श्री रहमत उल्ला खान आ. श्री मुस्तफा खान, रामपुर (नान्सी) जुन्नारदेव, छिन्दवाड़ा (म.प्र.).	36/3126—“अ”
65	श्री लखन शर्मा आ. श्री धनीराम, इस्लामपुरा, रोड जौरा, मुर्ना (म.प्र.).	01/3127—“अ”
66	श्री आशीष कुमार तिवारी, रेल्वे फाटक के पास, मुख्तारगंज, सतना (म.प्र.).	12/3129—“अ”
67	मे. राठी पावर स्ट्रक्चर, डी-16, एम.पी.ई.बी. कालोनी, मकरोनिया सागर (म.प्र.).	09/3143—“अ”
68	श्री रमेश कुमार सैनी आ. श्री फूलचन्द, शनीचरा वार्ड नं. 2, होशंगाबाद (म.प्र.).	32/3149—“अ”
69	मे. तुलसी प्रोजेक्ट प्राय.लिमि., कृष्णा अपार्टमेंट, प्लॉट नं. 203, हिल फोर्ट रोड, आदर्श नगर, हैदराबाद.	यूएस/3150—“अ”
70	श्री अरविन्द सोनी, 109, शंभू अपार्टमेंट, विजय नगर, जबलपुर (म.प्र.).	33/3155—“अ”
71	श्री मुकेश कुमार दीक्षित, द्वारा शिवम् इंजी. SHF/18 NCL कॉलोनी, सिंगरौली.	15/3160—“अ”
72	श्री राघवेन्द्र प्रसाद द्विवेदी आ. श्री एन.के. द्विवेदी, द्वारा श्री कैलाश पवार, ईव्यूएस 41,42 हाउसिंग बोर्ड कालोनी, बैतूलगंज, बैतूल (म.प्र.).	34/3165 —“अ”
73	मे. बी.आर.एस. इंजीनियर्स, प्रो. सुनील उपाध्याय, डी-141, सुदामा नगर, इन्दौर (म.प्र.).	23/3174—“अ”
74	मे. एरीस सिस्टम्स एच-जे-2, आनन्दनगर, आधार ताल, जबलपुर (म. प्र.).	33/3175—“अ”
75	श्री श्रीकांत मुले आ. श्री सुहास मुले, श्रीकांत इंटरप्राइजेज, 129-सी, वैशाली नगर, इन्दौर, (म.प्र.).	23/3180—“अ”

(1)	(2)	(3)
76	श्री अविनाश आ. श्री रमेश कुमार अग्रवाल, 115, मनभाव नगर, रिंग रोड, इन्दौर (म.प्र.).	23/3181—“अ”
77	मे. आरावली, इन्फ्रा पावर लिमि. जी-29, बर्द्धमान टावर कम्प्यूनिटी सेन्टर, विकासपुरी, नई दिल्ली.	यूएस/3221—“अ”
78	मे. एस. के. तावसे एण्ड कम्पनी प्राय. लिमि., 427, सरस्वती स्कीम नं. 59, अभितेश नगर, इन्दौर (म.प्र.).	23/3224—“अ”
79	श्री राधेश्याम पुरोहित, 8, पंत नगर, ए.जी. ऑफिस के पीछे, लश्कर ग्वालियर (म.प्र.).	03/3231—“अ”
80	श्री चन्द्रकांत सिंह पटेल 272, मामा वार्ड, गाडरवारा, नरसिंहपुर (म.प्र.).	35/3232—“अ”
81	श्री धीरज रायचन्दानी, ए-49, हा. बोर्ड कालोनी, कोहेफिजा, भोपाल (म.प्र.).	28/3235—“अ”
82	मे. रीजेन्सी इजी. कम्पनी, 150, अम्बर शास्त्री नगर, रतलाम (म.प्र.).	17/3245—“अ”
83	श्री नन्दकिशोर मालवीय आ. श्री रामचरण, 422, वार्ड नं. 4, खिड़िया मोहल्ला, मण्डीदीप, रायसेन (म.प्र.).	26/3248—“अ”
84	श्री एस. बी. श्रीवास्तव, 5/2, थियेटर रोड, सिविल लाइंस, जबलपुर (म.प्र.).	33/3250—“अ”
85	मे. विजय एण्ड कम्पनी, 15/948, टी.आई.टी. रोड रतलाम (म.प्र.).	17/3251—“अ”
86	श्री संजय सांघी, प्रो. मे. जी.एस. इलै. 6, साईं अपार्टमेंट, जयेन्द्रगंज, ग्वालियर (म.प्र.).	03/3260—“अ”
87	श्री त्रिलोक सिंह राजपाल, 301, मायमेंसन 581, एम.जी. रोड, इन्दौर (म.प्र.).	23/3278—“अ”

निम्नलिखित विद्युत् ठेकेदारी अनुज्ञप्तियां उनके सम्मुख दर्शाई गई तिथि से
विद्युत् ठेकेदार के स्वयं के अनुरोध पर निरस्त की जा चुकी है.

क्रमांक (1)	विद्युत् ठेकेदार का नाम व पता (2)	वि. ठे. अनु. क्र. (3)	निरस्तीकरण दिनांक (4)
1	श्री बृजभूषण नेमा आ. श्री कृष्णदास नेमा, 725, सुदामा नगर, इन्दौर (म. प्र.).	333—“अ”	20-6-2012

(1)	(2)	(3)	(4)
2	श्री संदीप कुमार ताम्रकार, न्यू लाइट हाउस, न्यू गांधी चौक, शहडोल (म.प्र.).	14/1407—“अ”	9-3-2012
3	श्री शक्ति प्रकाश सक्सेना, प्रो. आइकान इंजी, दर्पण एमआईजी डुप्लेक्स डी-9, एम.पी. नगर, झोन-1, भोपाल (म.प्र.).	28/1417—“अ”	19-11-2011
4	श्री के. एल. मिश्रा, 3, झांसी मोहल्ला, भिण्ड (म.प्र.).	2/2009—“अ”	7-5-2012
5	श्री सुरेश नानूराम भावसार, 57, नूतन नगर, भारतीय स्टेट बैंक के सामने, खरगोन (म.प्र.).	24/2452—“अ”	6-7-2012
6	श्री यू. के. गौतम, द्वारा गौतम इंजी. वर्क्स, शारदा कॉलोनी, मैहर- सतना (म.प्र.).	12/3015—“अ”	31-1-2012
7	श्री पृथ्वीपाल सिंह कुशवाह, कालपी वृज कालोनी, मुरार, ग्वालियर (म.प्र.).	3/3101—“अ”	31-1-2012
8	श्री एच. एस. कोचर, 899, सिटी होम्स, पटेल नगर, सिटी सेन्टर, ग्वालियर (म.प्र.).	3/3179—“अ”	10-11-2011
9	श्री जे. सी. मण्डलोई, आ. श्री दौलत सिंह, बी-15, अंजूश्री परिसर देवास रोड उज्जैन, (म.प्र.).	18/3386—“अ”	6-5-2012
10	मे. मुमताज बी, सतपुड़ा ढाबा के पास, छिन्दवाड़ा रोड, चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.).	36/3605—“अ”	2-3-2012
11	श्री हितेश शशीकांत चौधरी, ईएच-67, स्कीम नं. 54 इन्दौर (म.प्र.).	22/3632—“अ”	27-11-2011
12	श्री अजय कुमार रजनीवाल, आ. श्री भंवरलाल मे. शिरिश इलै. 45/ए, लक्ष्मीपुरी कालोनी, इन्दौर (म.प्र.).	23/2004—“अ”	20-5-2012

ए. के. दुबे,
सचिव,
मध्यप्रदेश अनुज्ञापन मण्डल (विद्युत्)
भोपाल.

राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नीमच, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

नीमच, दिनांक 14 जून 2012

प्र.क्र. 13-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
नीमच	नीमच	डुंगलावदा चंगौरा	2.730 5.990	कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, नीमच.	नवीन मण्डी प्रांगण हेतु भूमि का अर्जन.
योग : 8.720					

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय, नीमच, भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड-नीमच एवं सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, नीमच के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
लोकेश कुमार जाटव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 4 सितम्बर 2012

प्र. क्र. 41-अ 82-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (6) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा अधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	गौरिहार	उमरी	2.1	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व लवकुशनगर.	उमराहा शाखा नहर के अंतर्गत चंदला वितरक नहर की अमहा माईनर की उमरी सबमाईनर.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—उमराहा शाखा नहर के अंतर्गत चंदला वितरक नहर की अमहा माईनर की उमरी सबमाईनर के निर्माण हेतु भू-अर्जन.

- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, कार्यालय लवकुशनगर में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश बहुगुणा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिंगरौली, दिनांक 5 सितम्बर 2012

क्र. 695-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिंगरौली	देवसर	सरौधा	23.50	उपखण्ड अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, देवसर.	सरौधा तालाब योजना के शीर्ष कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, देवसर के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 696-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिंगरौली	देवसर	कुर्सा	8.10	उपखण्ड अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, देवसर.	सरौधा तालाब योजना के शीर्ष कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, देवसर के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. सेलवेन्द्रन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 5 सितम्बर 2012

क्र. 74-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
ग्वालियर	भितरवार	बनवार-III	0.793	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 1, डबरा.
		योग :	0.793	हरसी उच्चस्तरीय नहर की शाखा एवं उपशाखा नहर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रतलाम, दिनांक 5 सितम्बर 2012

क्र. 4076-भू-अर्जन-2012-प्र. क्र. 09-अ-82-2011-12.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण		धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
रतलाम	सैलाना	सोमारुण्डीखुर्द	3.75	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रतलाम.
		मानपुरा	1.00	
		झोसला	0.30	
		घोड़ादेह	0.20	
		योग :	5.25	चावलाखेड़ी तालाब निर्माण के अंतर्गत प्रभावित अतिरिक्त निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा व (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड, सैलाना के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजीव दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 6 सितम्बर 2012

भू-अर्जन प्र. क्र. एफ-.....-12 पत्र क्र. 1511-भू-अर्जन-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हेक्टर में) लगभग	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	मझगावां	पटना कला रोहनिया पटना कला	9.620 0.421 2.750	अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मझगावां, जिला सतना.	पटना जलाशय बांध एवं नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन प्र. क्र. एफ-.....-12 पत्र क्र. 1516-भू-अर्जन-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हेक्टर में) लगभग	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	मैहर	डॉड़ी नकतरा पोड़ी	0.435 1.528 1.811	अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मैहर, जिला सतना.	नक्तरा बांध योजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. खरे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बैतूल, दिनांक 12 सितम्बर 2012

प्र. क्र. 11-अ-82-वर्ष 2011-12-8025.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1) बैतूल	(2) भैसदेही	(3) गदराझिरी	(4) 0.283	(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्रमांक 2, बैतूल.	(6) गुनघाटी जलाशय के पूरक दांयी नहर निर्माण में आने वाली निजी भूमि का अर्जन.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला बैतूल एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भैसदेही के न्यायालय में देखा जा सकता है.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्रमांक 2, बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
- (4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. 15-अ-82-वर्ष 2011-12-8019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1) बैतूल	(2) भैसदेही	(3) चिचपाटी	(4) 1.756	(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्रमांक 2, बैतूल.	(6) मारू जलाशय के नहर निर्माण में आने वाली निजी भूमि का पूरक भू-अर्जन.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला बैतूल एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भैसदेही के न्यायालय में देखा जा सकता है.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्रमांक 2, बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
- (4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. 16-अ-82-वर्ष 2011-12-8020.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	भैसदेही	खैरवाड़ा	0.887	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्रमांक 2, बैतूल.	मारू जलाशय के नहर निर्माण में आने वाली निजी भूमि का पूरक भू-अर्जन.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला बैतूल एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भैसदेही के न्यायालय में देखा जा सकता है.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्रमांक 2, बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
- (4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. चंद्रशेखर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रायसेन, दिनांक 13 सितम्बर 2012

प्र. क्र. 06-अ-82-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक के प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	कुल रकबा (हे.में)	अर्जित किये जाने वाला रकबा (हे.में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	
रायसेन	बेगमगंज	मसूरबाबड़ी	7/1, 9	4.671	0.560	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रायसेन.	जलाशय निर्माण हेतु
			10/2, 12	1.246	0.356		
			7/2	4.456	4.456		
			10/1, 12	3.145	2.005		
			11	0.405	0.405		
			13	0.291	0.291		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			15	0.053	0.053
			136	0.073	0.073
			134/1, 135	2.155	0.260
			140/1	1.323	1.000
			143, 144,		
			145, 146,	0.930	0.930
			150, 151/4		
			123/3	0.259	0.259
			125/3	0.656	0.656
			89/2, 103/3/2	0.405	0.405
			138	0.287	0.287
			134/2/1, 135	1.677	0.667
			143, 144		
			145, 146	0.930	0.930
			150, 151/2		
			123/1	0.161	0.161
			125/1	0.365	0.365
			152/2	0.295	0.295
			134/3, 135	0.805	0.290
			140/2	0.176	0.176
			142	3.536	3.000
			143, 144, 145,	0.930	0.930
			146, 150, 151/1		
			143, 144, 145,	0.930	0.930
			146, 150, 151/3		
			152/1	0.405	0.405
			132	0.922	0.922
			133/1	0.725	0.725
			133/2	3.775	3.005
			232/153	0.089	0.089
			172	0.206	0.206
			170	0.777	0.400
			155	6.520	6.520
			156	0.737	0.737
			167/1	0.758	0.758
			168	1.805	0.906
			169	1.040	0.490
			158/1/1	0.290	0.290

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		164/2	0.805	0.805	
		165, 167			
		158/2	0.299	0.299	
		158/3	0.170	0.170	
		164-166	0.805	0.805	
		165	0.490	0.490	
		157/2	2.890	2.890	
		160	0.097	0.097	
		184/2	0.813	0.212	
		185	0.085	0.085	
		215	0.105	0.105	
		216	0.065	0.065	
		220/1	0.332	0.332	
		211/1, 221	4.464	0.500	
		225/1	0.174	0.174	
		214	0.138	0.138	
		220/2	0.331	0.331	
		225/2	0.177	0.177	
		161/1	1.214	1.214	
		162	0.247	0.247	
		163	0.332	0.332	
		158/1/2/2	0.396	0.396	
		157/1/1/1/1	0.153	0.153	
		127	0.611	0.611	
		128	0.077	0.077	
		129	0.210	0.210	
		130	0.450	0.450	
		118	0.858	0.858	
		119	0.183	0.183	
		121	0.299	0.299	
		123/2	0.037	0.037	
		125/2	0.061	0.061	
		133/3	0.296	0.296	
		140/3	0.037	0.037	
		8/5	0.587	0.200	
		17/2	0.445	0.205	
		113	0.516	0.516	
		112/2	2.592	2.592	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			112/1	2.404	2.404
			110	0.210	0.210
			111	0.548	0.548
			116	0.158	0.158
			101	0.085	0.085
			100	0.277	0.277
			99	0.190	0.190
			89/3/2	1.384	1.384
			107/1	0.057	0.057
			91/1	0.073	0.073
			85/1	0.045	0.045
			107/2	0.057	0.057
			91/2	0.073	0.073
			85/2	0.049	0.049
			109	0.255	0.255
			105/1	0.248	0.248
			81	0.478	0.278
			103/2/2/2, 89/2	0.024	0.024
			103/2/1, 89/2	0.445	0.445
			103/3/1, 89/2	0.344	0.344
			95	0.097	0.097
			96	0.194	0.194
			98	0.170	0.170
			92	0.158	0.158
			88	0.158	0.158
			68/1	0.348	0.348
			90	0.979	0.979
			89/3/1	1.384	1.384
			134-135/2/2	1.011	0.335
			177/2	0.073	0.073
			183/2	0.793	0.793
			187-191/1	0.673	0.273
			187-191/2	1.213	0.223
			188, 189, 190/1	0.929	0.929
			188, 189, 190/2	1.718	1.718

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			188, 189, 190/3	1.115	1.115	
			188, 189, 190/4	1.115	1.115	
			188, 189, 190/5	0.757	0.757	
			218	0.210	0.210	
			158/1/2/1	0.165	0.165	
			161/2	1.375	1.275	
			157/1/1/1	1.064	1.064	
			157/1/2	1.218	1.218	
			154	2.395	2.395	
			17/3	1.011	0.825	
			17/4	0.809	0.509	
			17/5	1.011	0.900	
			75	0.360	0.160	
			107/3	0.119	0.119	
			105/2	4.047	4.047	
			103/2/2/1, 89/2	0.104	0.104	
			103/1, 89/2	1.762	1.762	
			87	0.267	0.267	
			89/1/1	1.161	1.161	
			67/4	0.783	0.500	
			82/1	0.809	0.105	
			82/2	0.810	0.750	
			82/3	0.809	0.650	
			82/4	0.809	0.405	
			80/3	0.809	0.109	
			80/4	0.802	0.405	
			80/5	0.809	0.809	
			79/1	1.565	1.565	
			79/2	1.000	0.500	
			79/3	1.000	0.500	
रायसेन	बेगमगंज	उमरहारी	257/1	0.146	0.146	
			256/1	0.162	0.162	
			252	0.101	0.101	
			253/1/1	0.283	0.283	
			253/1/2/1	0.372	0.372	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			253/1/2/2/1	0.364	0.364
			258	0.061	0.061
			259	0.057	0.057
			257/2	0.113	0.113
			256/2	0.615	0.615
			253/1/2/2/2	0.999	0.999
			255	0.166	0.166
			249	2.177	1.177
			254	0.534	0.334
			250	0.208	0.050
			253/2	0.275	0.275
			261	0.206	0.206
			304, 314, 315	1.958	0.350
			253/2/2	0.105	0.105
			302/2	0.133	0.133
			274/1	0.041	0.041
			264/1	1.808	1.000
			263	0.271	0.271
			270	0.709	0.400
			273	0.316	0.316
			265/1	3.250	3.250
			268	0.194	0.194
			274/2	0.202	0.050
			275	0.466	0.266
			297/2	0.032	0.032
			298	0.587	0.587
			253/2/1	0.619	0.619
			253/2/2	0.405	0.105
			300	0.073	0.073
			302/3	0.162	0.162
			272	2.189	0.289
			264/2	1.214	1.214
रायसेन	बेगमगंज	गुलवाड़ा	77	0.304	0.100
			78	0.530	0.100
			72	7.839	1.000
			40	0.291	0.291
			41	1.295	0.500
			43	0.198	0.198
			44	0.307	0.150

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			42	0.146	0.146
			37	0.182	0.182
			28, 29, 30/1/2	0.809	0.405
			36	0.117	0.117
			38	0.324	0.324
			35	1.218	1.218
			34	1.388	1.388
			32	4.561	3.500
			13	0.725	0.725
			14	0.158	0.158
			15	0.170	0.170
			16	0.194	0.194
			18	0.575	0.575
			2/1	0.666	0.666
			2/2	0.600	0.600
			3	1.032	1.032
			4	0.174	0.174
			6	0.271	0.271
			7	0.093	0.093
			8	0.093	0.093
			10	0.283	0.283
			11/1	5.560	5.560
			11/2	1.951	1.951
			12	0.101	0.101
			17/1	0.380	0.380
			17/2	0.630	0.630
			19	0.243	0.243
			20	0.045	0.045
			21	0.441	0.441
			22	0.182	0.182
			23	0.210	0.210
			24	3.064	2.000
			28, 29, 30/1/1	4.371	1.371
			31/2	0.834	0.834
			योग :	183.082	137.526

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, कार्यालय बेगमगंज में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

मोहन लाल मीणा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

विदिशा, दिनांक 11 सितम्बर 2012

प्र. क्र. 08-अ-82-वर्ष 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) उसके सामने दिये प्रयोजन के लिए आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	त्योदा	बगरोदा	0.312	भू-अर्जन अधिकारी, बासौदा	बघरूँ मध्यम जलाशय परियोजना की बांयी मुख्य नहर हेतु शेष रही भूमि का अधिग्रहण.
			योग रकवा : 0.312		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—बघरूँ मध्यम परियोजना की बांयी मुख्य नहर हेतु

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, बासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आनन्द कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बैतूल, दिनांक 12 सितम्बर 2012

प्र. क्र. 32-अ-82-वर्ष 2011-12-8026.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कॉलम (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के कॉलम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	बैतूल	जावरा	46.842	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2, बैतूल.	अपर जावरा जलाशय एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, बैतूल के न्यायालय में देखा जा सकता है।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2, बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है।
- (4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, बैतूल, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है।

प्र. क्र. 47-अ-82-वर्ष 2011-12-8023-भू-अर्जन-संशोधित अधिसूचना.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कॉलम (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के कॉलम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	मुलताई	दातौरा	11.608	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई.	देहगुड़ लघु जलाशय की बांयी मुख्य नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.
(2)	भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है।				
(3)	भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है।				
(4)	उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है।				

प्र. क्र. 65-अ-82-वर्ष 2011-12-भू-अर्जन-8024.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कॉलम (6) में उनके सामने सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के कॉलम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	मुलताई	पोहर	3.068	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई.	देहगुड़ जलाशय की दांयी मुख्य नहर निर्माण में आने वाली भूमि का अर्जन.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है।
- (4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. चन्द्रशेखर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 12 सितम्बर 2012

क्र. 97-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में इसके सामने दिये गये उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा चाही गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धार	कुक्षी	दुगांवा	0.145	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 16, कुक्षी, जिला धार	जोबट सिंचाई परियोजना की नहर से प्रभावित होने से.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, मान जोबट परियोजना, धार एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 16, कुक्षी, जिला धार के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. बी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

अनूपपुर, दिनांक 14 सितम्बर 2012

क्र. 6658-दस-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन, 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सूची सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन,

इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अनूपपुर	पुष्पराजगढ़	इंटौर	33.850	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, अनूपपुर.	इंटौर जलाशय निर्माण कार्य हेतु.
		घोघरी	28.053		
		बंराझ	2.466		
योग . .			60.369		

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय, अनूपपुर/अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व पुष्पराजगढ़, जिला अनूपपुर के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

राजगढ़, दिनांक 17 सितम्बर 2012

क्र. 10385-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—राजगढ़
(ख) तहसील—नरसिंहगढ़ मवासा झाड़ला मार्ग
(ग) नगर/ग्राम मवासा, पाडल्याखेड़ी, झाड़ला

क्रमांक	ग्राम का नाम	कुल रकबा	अर्जित भूमि के प्रयोजन का विवरण	धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	मवासा	0.466	मवासा झाड़ला मार्ग	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, संभाग, राजगढ़.
2	पाडल्याखेड़ी	1.758		
3	झाड़ला	3.482		
योग :		5.706		

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—ग्राम मवासा, झाड़ला मार्ग निर्माण ग्राम मवासा, पाडल्याखेड़ी, झाड़ला की भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 10387-भू-अर्जन-2012.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—राजगढ़
(ख) तहसील—नरसिंहगढ़ झाड़ला कोटरीकलां मार्ग
(ग) नगर/ग्राम—जामोन्यागोप चौहान, मान पिछोड़ी, झाड़ला, आवंली, कोटरीकलां

क्रमांक	ग्राम का नाम	कुल रकबा	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण	धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	जामोन्यागोप चौहान	0.102	झाड़ला, कोटरीकलां मार्ग	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, संभाग, राजगढ़.
2	मान पिछोड़ी	1.221		
3	झाड़ला	4.166		
4	आवंली	1.573		
5	कोटरीकलां	2.451		
		योग . . .		
		9.513		

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.—ग्राम झाड़ला कोटरीकलां मार्ग निर्माण ग्राम जामोन्यागोप चौहान, मान पिछोड़ी, झाड़ला, आवंली, कोटरीकलां की भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 10389-भू-अर्जन-2012.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—राजगढ़
(ख) तहसील—नरसिंहगढ़ बोड़ा बोरखेड़ा मार्ग
(ग) नगर/ग्राम—बोड़ा, बकानी, झाड़पीपल्या, गाथला, चोरखेड़ी, ढाबला, पनवाड़ी, कण्डाराकोटरी, पीपल्या बीरम, कोटरी कलां, बोरखेड़ा.

क्रमांक	ग्राम का नाम	कुल रकबा	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण	धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	बोड़ा	2.631	बोड़ा बोरखेड़ा मार्ग	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, संभाग, राजगढ़.
2	बकानी	3.025		
3	झाड़पीपल्या	3.734		
4	गाथला	0.042		
5	चोरखेड़ी	0.344		
6	ढाबला	1.068		
7	पनवाड़ी	1.594		
8	कण्डाराकोटरी	2.037		
9	पीपल्या बीरम	3.516		
10	कोटरी कलां	4.328		
11	बोरखेड़ा	1.720		
		योग . . .		
		24.039		

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.—ग्राम बोड़ा बोरखेड़ा मार्ग निर्माण ग्राम बोड़ा, बकानी, झाड़पीपल्या, गाथला, चोरखेड़ी, ढाबला, पनवाड़ी, कण्डाराकोटरी, पीपल्या बीरम, कोटरी कलां, बोरखेड़ा की भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 17 सितम्बर 2012

भू-अर्जन प्र. क्र. एफ.-1530-12 पत्र क्र. . . . -भू-अर्जन-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हेक्टर में) लगभग	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	मैहर	हिनौता गजगौना	8.030	कार्यपालन यंत्री, न.घा.वि.प्रा. संभाग, अमरपाटन.	बरगी व्यपवर्तन योजना अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

सतना, दिनांक 19 सितम्बर 2012

भू-अर्जन प्र. क्र. एफ.-. . . -12 पत्र क्र. 1532.-भू-अर्जन-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हेक्टर में) लगभग	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	मैहर	नरवारकला	5.181	कार्यपालन यंत्री, न.घा.वि.प्रा. संभाग, अमरपाटन.	बरगी व्यपवर्तन योजना अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन प्र. क्र. एफ.-. . . -12 पत्र क्र. 1533.-भू-अर्जन-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हेक्टर में) लगभग	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	मैहर	करइया देवरी	15.748	कार्यपालन यंत्री, न.घा.वि.प्रा. संभाग, अमरपाटन.	बरगी व्यपवर्तन योजना अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. खरे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कटनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

कटनी, दिनांक 19 जुलाई 2012

क्र. 1-अ-82-07-08.—चूंकि, राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई, अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि के उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—कटनी

(ख) तहसील—बडवारा

(ग) ग्राम—भजिया, छपरवाह, पनसोखर, अहार, परसेल

(घ) लगभग क्षेत्रफल—10.21 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)

ग्राम—भजिया

920/1	0.06
128	0.40
919	0.01
126	0.16
124	0.25
621	0.24
644	0.07
623/1	0.04
647	0.13
624/1	0.08
628	0.02
648	0.05
629	0.12
630	0.01
645	0.05
930	0.06
1158	0.08
643	0.11
646	0.05
642	0.04
917/1	0.04
917/2	0.05

(1)

(2)

916	0.08
915	0.09
923	0.09
921	0.04
922/1	0.03
909	0.04
910/1	0.01
907	0.03
924	0.03
926	0.10
928	0.03
931	0.01
932	0.03
903	0.07
1199	0.10
1226	0.06
1206	0.01
1205	0.04
929	0.03
1204	0.08
1216	0.17
1225	0.05
1217	0.04
योग . . .	
<u>3.57</u>	
ग्राम—छपरवाह	
47	0.24
54	0.23
55/1	0.01
55/2	0.05
57	0.02
58/1	0.10
58/2	0.10
59/1	0.25
70/1	0.21
61	0.34
64	0.04
62	0.04
63	0.05
60	0.58
271	0.04
योग . . .	
<u>2.30</u>	

(1)	(2)	(1)	(2)
	ग्राम—पनसोखर	243	0.09
294	0.01	344	0.07
296	0.04	345	0.05
293	0.09		योग . . . 0.38
292	0.09		
301	0.02		ग्राम—परसेल
302	0.04	1	0.12
302/1	0.01	2	0.13
302/3	0.03	95/1	0.06
28	0.05	96	0.07
286	0.04	98	0.03
284	0.04	99	0.09
283	0.04	112/1	0.18
280	0.10	113/1	0.07
277	0.01	117	0.03
278	0.01	119	0.23
176	0.06	120	0.01
171	0.09	121	0.08
276	0.05	123	0.01
172	0.10	232	0.07
173/1	0.02	233	0.10
175	0.11	235	0.06
180/1	0.02	236	0.16
180/2	0.05	237	0.09
180/3	0.05	240	0.06
181/2	0.05	227	0.13
212	0.01	231	0.02
208	0.15	230/1	0.01
209/2	0.02	230/2	0.01
209/3	0.02		योग . . . 1.82
227/2	0.02		महायोग . . . 10.21
224	0.50		
225	0.06		
226/1	0.04		
226/2	0.05		
	योग . . . 2.14		
	ग्राम—अहार		
322/1	0.03		
322/2	0.02		
223	0.10		
234	0.02		

(2) झिरगिरी जलाशय योजना की नहर निर्माण के लिये आवश्यकता है.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, कटनी कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मंदसौर, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मंदसौर, दिनांक 24 अगस्त 2012

प्र. क्र. 01-अ-82-2011-12-क्र. भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—मंदसौर

(ख) तहसील—मल्हारगढ़

(ग) नगर/ग्राम—रणायरा + गर्रावद

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.289 + 45.978= 47.267 हेक्टर.

सर्वे नं.	कुल रकबा (हे. में.)	अर्जित रकबा (हे. में.)
(1)	(2)	(3)

(1) नहर ग्राम—रणायरा

110	1.520	0.096
112	0.870	0.044
113	0.870	0.044
114	1.780	0.068
102 पै.	0.510	0.072

योग . . . 0.324

(2) स्पील चैनल

130/2	0.560	0.560
126 पै.	0.020	0.020
127	0.190	0.100
128	0.190	0.120
129/1	0.200	0.165

योग . . . 0.965

महायोग . . . 1.289

ग्राम—गर्रावद

1600/1	0.590	0.590
1600/2 पै.	0.090	0.090
1600/2 पै.	0.200	0.200
1600/3 पै.	0.300	0.300
1600/4	0.580	0.580
1601	0.310	0.170
1602	0.230	0.230

(1)	(2)	(3)
1603/3	0.540	0.160
1618	0.150	0.150
1617 पै.	0.350	0.350
1614	0.120	0.120
1608	0.600	0.600
1609	0.250	0.050
1610	0.230	0.230
1612	0.350	0.350
1611	0.260	0.260
1613	0.130	0.130
1617	0.340	0.340
1615	0.500	0.500
1616	0.120	0.120
1619	0.780	0.780
1620	0.120	0.120
1621	0.270	0.270
1622	0.100	0.100
1623 पै.	0.250	0.250
1623 पै.	0.250	0.250
1623 पै.	0.250	0.250
1624	0.250	0.250
1625	0.210	0.210
1626	0.610	0.610
1639/1	0.320	0.320
1627 पै.	0.460	0.460
1628	0.400	0.400
1629	0.130	0.130
1630	0.130	0.130
1636	0.250	0.250
1631	0.450	0.450
1632	0.130	0.130
1633	0.240	0.240
1634 पै.	0.080	0.080
1648	0.330	0.187
1656	0.220	0.220
1646	0.080	0.080
1634 पै.	0.080	0.080
1647	0.250	0.250
1634 पै.	0.080	0.080
1654	0.240	0.240
1635	0.390	0.390

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
1637	0.860	0.860	1674 पै.	0.960	0.960
1643	0.290	0.220	1671 पै.	0.020	0.020
1638	0.150	0.150	1671 पै.	0.020	0.020
1639/2	0.260	0.260	1672	0.090	0.090
1640	0.120	0.120	1673	0.030	0.030
1641	0.120	0.120	1675 पै.	0.340	0.340
1642 पै.	0.020	0.020	1675 पै.	0.340	0.340
1642 पै.	0.190	0.190	1676 पै.	0.260	0.260
1644	0.150	0.086	1677 पै.	0.470	0.470
1645	0.370	0.370	1681	0.750	0.550
1652	0.330	0.330	1106	0.240	0.240
1653	0.090	0.045	1107	0.500	0.500
1655	0.550	0.490	1110 पै.	0.110	0.110
1657	1.040	0.400	1122	0.350	0.250
1664	0.050	0.050	1676 पै.	0.100	0.100
1658 पै.	0.020	0.020	1677 पै.	0.300	0.300
1659 पै.	0.350	0.350	1678	0.300	0.300
1660 पै.	0.460	0.460	1679/1	0.040	0.040
1658 पै.	0.020	0.020	1679/2	0.040	0.040
1659 पै.	0.150	0.150	1680	0.600	0.600
1660 पै.	0.200	0.200	1682	1.540	1.470
1661 पै.	0.230	0.230	1108	0.330	0.330
1658 पै.	0.030	0.030	1109	0.530	0.530
1659 पै.	0.120	0.120	1110 पै.	0.300	0.300
1661 पै.	0.110	0.110	1694 पै.	0.700	0.240
1662	0.180	0.180	1698	0.900	0.350
1663	0.330	0.330	1101 पै.	0.230	0.020
1660 पै.	0.200	0.200	1102 पै.	0.570	0.570
1666	1.810	1.810	1103 पै.	0.030	0.030
1665/1	1.060	1.060	1104 पै.	0.200	0.200
1665/2	1.050	1.050	1104 पै.	0.250	0.250
1667	0.390	0.390	1103 पै.	0.300	0.300
1668 पै.	0.060	0.060	1104 पै.	0.250	0.070
1668 पै.	0.660	0.660	1105 पै.	0.420	0.280
1670 पै.	0.260	0.260	1528/2	0.520	0.430
1670 पै.	0.260	0.260	1128	0.260	0.130
1670 पै.	0.770	0.770	1129 पै.	0.500	0.050
1670 पै.	0.750	0.750	1551	0.500	0.110
1670 पै.	0.250	0.250	1554	0.650	0.650
1670 पै.	0.770	0.770	1555 पै.	0.280	0.280
1671 पै.	0.010	0.010	1555 पै.	0.280	0.280

(1)	(2)	(3)
1555 पै.	0.290	0.290
1584	0.070	0.070
1556 पै.	0.280	0.280
1556 पै.	0.270	0.270
1559	0.400	0.400
1579 पै.	0.230	0.230
1579 पै.	0.230	0.230
1598 पै.	0.400	0.400
1579 पै.	0.230	0.230
1599	0.240	0.240
1580	0.200	0.200
1587	0.180	0.180
1596	0.160	0.160
1582 पै.	0.030	0.030
1582 पै.	0.040	0.020
1591 पै.	0.120	0.120
1583	0.070	0.070
1592	0.480	0.480
1585	0.170	1.170
1598 पै.	0.200	0.200
1586 पै.	0.120	0.120
1591 पै.	0.060	0.060
1590/3	0.420	0.150
1590/4	0.100	0.100
1593	0.470	0.470
1594	0.130	0.130
1595	0.030	0.030
1529	0.380	0.280
1522 पै.	1.310	0.290
1522 पै.	0.660	0.030
1523/1	0.320	0.320
1523/2	1.810	0.110
योग . . 45.978		
कुल योग . . 47.267		

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—रणायरा गरावद तालाब निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मल्हारगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मंदसौर के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
महेन्द्र ज्ञानी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 27 अगस्त 2012

प्र. क्र. 02-अ-82 वर्ष 2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—दमोह

(ख) तहसील—हटा

(ग) नगर/ग्राम—मिहगुवां

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.23 हेक्टर.

खसरा अर्जित रकबा
नम्बर (हेक्टर में)

(1) (2)

53 0.01

54 में से 0.02

55 0.01

56 0.01

58/1 में से 0.01

58/3,4 में से 0.05

58/2,5 में से 0.01

120 में से 0.04

121 में से 0.05

123 में से 0.02

योग : 0.23

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—विनती-मडियादो-से हिनपटी मार्ग निर्माण के अर्जन में आने वाली भूमि के निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, हटा एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड हटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
- (4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भवन/सड़क) दमोह संभाग दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.

- (5) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी हटा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
स्वतंत्र कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश
एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 27 अगस्त 2012

प्र. क्र. 61-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—ग्वालियर	
(ख) तहसील—ग्वालियर	
(ग) ग्राम—अकबरपुर मुजफ्ता	
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.262 हेक्टर.	
सर्वे	रकबा
क्र.	(हेक्टर में)
(1)	(2)
89	0.105
91	0.157

योग : 0.262

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—मोतीझील से बदनापुरा पहुंच मार्ग हेतु 6 लेन रोड निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय में किया जा सकता है.

ग्वालियर, दिनांक 5 सितम्बर 2012

प्र. क्र. 57-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत

यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—ग्वालियर	
(ख) तहसील—आंतरी (चीनोर)	
(ग) ग्राम—बझेरा	
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.57 हेक्टर.	

सर्वे	अर्जित किये जाने वाला
नम्बर	अनुमानित क्षेत्रफल
	(हे. में)

(1) (2)

288 मिन 0.025

289 मिन 0.047

289 मिन 0.113

289 मिन 0.140

312 0.087

313 0.043

322 0.084

324 0.018

326 0.182

327 0.179

329 0.317

330 0.003

376/1/क/1 0.073

376/1/क/2 0.151

376/1/मिन3 0.021

379/2/मिन 1 0.087

योग : 1.57

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 28 अगस्त 2012

क्र. 3 अ-82-वर्ष-11-12-भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची

के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छतरपुर
(ख) तहसील—छतरपुर
(ग) नगर/ग्राम—चौका
(घ) निजी भूमि—0.168 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
1738	0.168

योग . . . 0.168

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—मगरार तालाब योजना की नहर निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 4 अ-82-वर्ष-11-12-भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छतरपुर
(ख) तहसील—छतरपुर
(ग) नगर/ग्राम—छिरावल
(घ) निजी भूमि—0.744 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
56/1 मिन-3	0.360
56/5	0.180
62	0.042
64	0.120
65	0.042
योग . . .	<u>0.744</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—मगरार तालाब योजना की स्पल चैनल निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छतरपुर, दिनांक 7 सितम्बर 2012

क्र. 2 अ-82-वर्ष-11-12-भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छतरपुर
(ख) तहसील—छतरपुर
(ग) ग्राम—बूदौर
(घ) निजी भूमि—0.732 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
198/1/1	0.150
198/2	0.550
199/1/2	0.032
योग . . .	<u>0.732</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—मगरार तालाब योजना की नहर निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश बहुगुणा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश
एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

बुरहानपुर, दिनांक 29 अगस्त 2012

राज. प्र. क्र. 03 अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन

अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बुरहानपुर

(ख) तहसील—नेपानगर

(ग) ग्राम—हैदरपुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.70 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
8/2	0.89
5	0.81

योग . . . 1.70

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—हैदरपुर तालाब में रिसाव के कारण डूब में आने वाली भूमि का भू-अर्जन.

(3) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी नेपानगर/कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बुरहानपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

राज. प्र. क्र. 04 अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बुरहानपुर

(ख) तहसील—नेपानगर

(ग) ग्राम—रहमानपुरा, गोरडिया, सिंधखेड़ा, नावरा, पांचईमली

(घ) लगभग क्षेत्रफल—18.45 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
3/2	1.20
98/1	0.93
98/2	0.50

ग्राम—रहमानपुरा

178	
181	
180	
183	

योग . . . 0.24

(1) (2)

99/1 0.17

104/2 0.93

104/1 0.93

104/3 0.92

99/3 0.22

180 0.22

197 0.37

200/1 0.12

200/2 0.12

10/1 0.63

365 0.18

90/4 0.36

93/4 0.50

93/3 0.70

3/3 0.02

योग . . . 9.02

ग्राम—गोराडिया

236/1 0.98

236/2 0.26

243 2.81

249 0.23

250/1 0.20

250/2 0.62

248/2 0.08

248/3 0.56

योग . . . 5.74

ग्राम—सिंधखेड़ा

284/2 0.98

287/1 0.33

287/2 0.68

288/2 0.10

301 0.49

373 0.68

योग . . . 3.26

ग्राम—नावरा

178 0.12

181 0.06

180 0.02

183 0.04

(1)	(2)
ग्राम—पांचईमली	
235/4	0.09
211/4	0.10
योग . .	0.19
महायोग . .	18.45

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—रहमानपुरा तालाब योजना के अतिशेष कार्य हेतु भूमि का भू-अर्जन.
- (3) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकार (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी नेपानगर/कार्यपालन यंत्रि, जल संसाधन संभाग, बुरहानपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आशुतोष अवस्थी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला हरदा, मध्यप्रदेश
एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

हरदा, दिनांक 31 अगस्त 2012

क्र. 8778-भू-अर्जन-1 अ-82-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—हरदा
(ख) तहसील—हरदा
(ग) नगर/ग्राम—डगावाशंकर
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.072 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	क्षेत्रफल (हे. में)	विवरण
(1)	(2)	(3)
138 में से	0.072	सिंचित

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—सिराली से घोडड़ा, डगावाशंकर, खामापडवा, मार्ग पर माचक नदी पर पुल के पहुंच मार्ग हेतु,

- (3) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, हरदा एवं अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण उप संभाग, बैतूल के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुदाम खाडे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास,
बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा, दिनांक 1 सितम्बर 2012

क्र.-2704-भू-अर्जन-06-07.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—रघुराजनगर
(ग) नगर/ग्राम—सोहास
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.236 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
1206/3	0.060
1207/2/1	0.060
1202/1	0.056
1202/2	0.060
योग . .	0.236

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना पुरवा नहर के मुख्य नहर के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र.-2706-भू-अर्जन-06-07.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में

वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना	खसरा	रकबा
(ख) तहसील—रामपुर बाघेलान (कोटर)	नम्बर	(हेक्टर में)
(ग) नगर/ग्राम—बिहरा काठौर	(1)	(2)
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.007 हेक्टेयर.	196	0.141
	757	0.113
	756	0.038
	759	0.093
	760	0.078
	774	0.109
	773	0.094
	772	0.009
	771	0.035
	1161	0.056
	1164	0.053
	1148	0.188
योग . .		<u>1.007</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत वितरिका नहर निर्माण में आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र.-2708-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह

घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—कोटर
(ग) ग्राम—लौलाछ
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.157 हेक्टेयर.

खसरा	अर्जित रकबा
नम्बर	(हेक्टर में)
(1)	(2)
1293/1702	0.016
1295	0.292
1318	0.138
225	0.073
224	0.275
220	0.006
378	0.029
326	0.178
417	0.040
418	0.012
1153	0.016
1176	0.373
1184	0.308
1122	0.016
1549	0.146
707	0.018
717	0.073
1185	0.081
716	0.148
712	0.063
710	0.024
711	0.035
713	0.063
759	0.413
763	0.038
775	0.283
योग . .	<u>3.157</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत लौलाछ सब माइनर का निर्माण कार्य के अंतर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र.-2710-भू-अर्जन-06-07.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—कोटर
(ग) ग्राम—थथौरा कोठार
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.426 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
78	0.072
81	0.144
94	0.064
242	0.106
243	0.032
239	0.004
238	0.004
योग . .	0.426

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत वितरिका नहर निर्माण में आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

रीवा, दिनांक 11 सितम्बर 2012

क्र.-2753-भू-अर्जन-कार्य.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत

इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—रामपुर बघेलान
(ग) ग्राम—मझियार
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.320 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
03	0.240
04	0.552
46	0.528
योग . .	1.320

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली मझियार नहर के अन्तर्गत आने वाली निजी शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र.-2755-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—रामपुर बघेलान
(ग) ग्राम—गाड़ा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.926 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
688	0.101
52	0.089
54	0.020
55	0.121

(1)	(2)
56	0.097
61	0.012
63	0.093
64	0.057
62	0.081
333	0.097
371	0.053
374	0.049
370	0.040
369	0.224
420	0.073
421	0.032
366	0.006
367	0.354
348	0.064
347	0.104
305	0.143
303	0.080
302	0.120
282	0.088
235	0.132
232	0.084
222	0.062
219	0.020
218	0.160
217	0.121
187	0.348
188	0.004
184	0.065
189	0.089
182	0.121
181	0.053
470	0.081
471	0.148
472	0.049
511	0.028
508	0.162

योग . . . 3.926

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत गाड़ा सब माइनर का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु,

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
धार, दिनांक 10 सितम्बर 2012

क्र. 215-भू-अर्जन-2012-भू-अर्जन-प्रकरण क्रमांक-अ-82.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार

(ख) तहसील—धरमपुरी

(ग) ग्राम—निमरानी

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.303 हेक्टेयर.

खसरा	रकबा
नम्बर	(हेक्टर में)

(1)	(2)
-----	-----

81/4	0.240
------	-------

112, 113	0.063
----------	-------

योग . . .	<u>0.303</u>
-----------	--------------

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—औँकोरेश्वर परियोजना की दायी तट नहर प्रणाली चरण-III की वितरण/लघु/उप नहरें एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु भूमि का अधिग्रहण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर धार, भू-अर्जन अधिकारी, धरमपुरी एवं कार्यपालन यंत्री, ओ.एस.पी. नहर संभाग धामनोद के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. बी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
रायसेन, 13 सितम्बर 2012

क्र. 11-12-प्र. क्र. 01-अ-82-11-12—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रायसेन
(ख) तहसील—रायसेन
(ग) ग्राम—मऊपथरई
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.137 हेक्टे.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हे. में.) (2)
161/3/3	0.129
161/3/1	0.008
योग . .	0.137

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—ग्राम मऊपथरई में मुख्य नहर निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग रायसेन के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 4-अ-82-2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रायसेन
(ख) तहसील/तालुका—बेगमगंज
(ग) नगर/ग्राम—गेहूँरास एवं विनायकपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.478 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	कुल रकबा (हे. में.) (2)	अर्जित किये जाने वाला रकबा (हे. में.) (3)
----------------------	-------------------------------	--

ग्राम—गेहूँरास

26/2	2.225	0.224
264/27/2	1.740	0.252
234/3	0.970	0.140
29/2	0.651	0.154
207/2	0.048	0.028
69	1.712	0.098
197	0.073	0.056
257/192	0.069	0.028
29/1	1.902	0.210
32/2	1.529	0.098
33	0.178	0.084
208/1	0.060	0.028
208/2	0.056	0.028
117	0.466	0.048
209	0.401	0.042
207/1	0.057	0.028
196	0.121	0.035
191	0.125	0.028
146	0.117	0.021
147	0.219	0.070
151/2	0.085	0.085
131/2	2.293	0.035
129/2/2	1.311	0.252
125/1/2	1.268	0.294
123/1/1	0.833	0.084
123/1/2	0.833	0.084
123/2	1.088	0.060
120/1/4, 120/2	1.211	0.072
120/1/3, 120/2	1.206	0.072
120/1/2, 120/2	1.238	0.066
120/1/1, 120/2	1.056	0.066
118	0.587	0.060
113/2/1	2.287	0.225
113/2/2	0.882	0.075
113/1	0.627	0.084

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
107	0.757	0.025		ग्राम—साजखेड़ा	
108	1.611	0.058	164/139	3.116	0.202
105, 104/4/4	0.280	0.020	119/1	2.305	0.033
98/5	0.332	0.019	119/2	6.092	0.134
104, 105/5	1.619	0.112	120/3	3.440	0.634
104, 105/6/1	1.000	0.058	120/2	3.440	0.061
104, 105/6/2	0.608	0.029	125/2	0.170	0.054
104, 105/7/1	0.809	0.037		ग्राम—शाहपुर सुल्तानपुर	
102/2/1	0.202	0.012	318/12	0.825	0.108
104, 105/8	1.619	0.117	9/4	0.182	0.008
102/1	0.405	0.083	7/4	1.575	0.105
104, 105/7/2	0.809	0.037	9/3	0.181	0.090
98/3/2	0.162	0.012	7/3	1.575	0.449
98/4	0.328	0.138	5/1/4, 6/1/4	2.569	0.115
98/1	0.417	0.106	6/2/1	1.340	0.040
ग्राम—सीहोरा जागीर			6/2/2	1.336	0.142
45	0.721	0.126	6/3	1.335	0.142
40	0.101	0.055	30/1	1.408	0.111
41	0.178	0.004	218/1	0.696	0.083
66	1.428	0.055	26/2	1.069	0.133
37	12.084	0.315	28	0.320	0.006
69	0.717	0.066	29	0.324	0.037
68, 67/2	2.339	0.297	53	0.324	0.050
76/1/1/1	1.011	0.100	30/2	0.809	0.075
76/1/1/2	0.542	0.018	218/2	0.696	0.071
281/26	1.619	0.081	30/3	0.605	0.062
259/26	0.769	0.074	236/1	1.371	0.013
24, 25/1, 24, 25/2	1.813	0.130	219/1	1.214	0.083
16, 20, 21	7.556	0.169	217	0.583	0.075
22	2.473	0.055	48, 49, 313, 48/1	1.841	0.125
181	3.302	0.081	48, 49, 313, 48/2	1.837	0.125
255/181	1.197	0.090	48, 49, 313, 48/3	1.841	0.125
198, 193/2	1.424	0.055	48, 49, 313, 48/4	1.841	0.125
199	4.306	0.186	45	1.850	0.188
205	0.749	0.041	44	0.559	0.096
206	1.485	0.027	2/2/1	0.656	0.029
226	0.235	0.022	2/1	1.214	0.125
228/1	0.619	0.055		ग्राम—खमरिया कलौ	
229/1	0.624	0.048	327, 326/1	2.832	0.271
			327, 326/2	4.334	0.167
			313, 314	1.539	0.075
			315	0.469	0.041

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
316	0.340	0.075	249/2/5	3.342	0.030
291/1/2/7	0.971	0.104	248/4	4.334	0.334
291/1/2/4	1.011	0.092	241	1.956	0.125
289/2/1/2	0.781	0.083	248/2	4.630	0.238
290/2/2	1.169	0.108	248/1	3.179	0.238
289/2/1/1	0.777	0.125	245/5	2.250	0.083
289/1/2	1.708	0.221	245/3	1.923	0.183
290/2/5	0.809	0.091	245/1/2	5.232	0.158
290/2/1	0.809	0.122	245/1/1/4	3.368	0.091
251/1, 252, 253	1.105	0.111	245/1/1/3	3.371	0.096
251/2, 252, 253	1.101	0.122	245/1/1/2	3.368	0.091
347, 253/1/1	0.500	0.111	245/1/1/1	3.368	0.125
347, 253/1/2	0.504	0.111	ग्राम—बेरसला		
342, 254	0.178	0.019	166,163,162/1/2	3.237	0.334
256/2/2	0.461	0.033	166,163,162/2/2	0.809	0.029
254	1.141	0.206	162/2/3	0.948	0.029
259	0.951	0.195	166, 161/162	0.740	0.041
263, 266	1.785	0.137	2/7/1		
265, 267	2.068	0.083	166, 163,	0.948	0.054
155, 245, 246,	5.850	0.192	162/2/6		
247, 248			166, 163,	0.948	0.054
164/2	0.951	0.137	162/2/5		
165	0.259	0.008	166, 163,	0.948	0.054
176, 175/1	1.194	0.091	162/2/4		
200/1	3.420	0.303	166, 163,	2.023	0.083
176, 175/2	0.405	0.072	162/2/1		
176, 175/3	0.405	0.054	158/1, 159, 160	1.619	0.108
174	0.967	0.121	172/1	0.561	0.036
183	0.414	0.020	174/1/4/2	1.970	0.036
170	0.995	0.046	176/1/1	3.628	0.030
184	2.254	0.212	174/1/3/1	1.154	0.011
198/1	5.010	0.313	174/1/2/1	0.462	0.021
198/2	5.010	0.229	174/1/2/2	0.458	0.018
200/2/1	1.804	0.053	174/1/2/3	0.455	0.021
208 206,			174/1/1	1.019	0.021
205/2/1/1	2.777	0.050	173	3.310	0.209
208, 206,			176/2/2	3.237	0.011
205/2/1/2	0.405	0.142	176/2/1	4.015	0.091
207/1	0.186	0.040	176/1/2	3.626	0.041
ग्राम—सीहोरा जागीर			कुल योग . . . 332.554		
249/2/4	1.619	0.127	20.610		
249/2/3	1.416	0.209	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—साजखेड़ा नहर निर्माण हेतु.		
249/2/2	1.521	0.153	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय बेगमगंज में देखा जा सकता है.		
249/2/1	1.214	0.154	मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मोहनलाल मीणा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.		

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
छतरपुर, दिनांक 17 सितम्बर 2012

प्र. क्र. 26-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छतरपुर
(ख) तहसील—चंदला
(ग) ग्राम—बसंतपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि—7.118 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हे. में)		
(1)	(2)		
24/1/1	0.080	124/2	0.040
82	0.330	123	0.140
303/1/1/2/1/2/3,	0.065	83	0.110
303/1/1/2/1/2/1		297/1/1/1अ	0.180
115/1	0.140	134	0.185
187/1	0.140	76/2	0.100
297/1/1/1ब	0.290	77/1	0.150
60/1	0.108	189	0.095
188/1	0.015	187/2	0.100
25	0.005	56/1	0.070
77/2	0.025	78	0.135
73/2	0.025	26	0.290
132/2	0.180	303/1/1/1	0.225
187/3	0.035	303/1/1/2/2	0.180
56/2	0.075	178/1	0.075
57/2	0.080	301/1	0.165
61/2	0.040	301/2	0.125
184	0.230	116	0.175
27	0.010	117	0.220
71	0.140	24/1/2	0.080
188/3	0.065	73/4	0.030
143	0.110	60/2	0.038
		124/1	0.090
		73/1	0.010
		75/1	0.010
		114/1	0.120
		61/1	0.180
		77/3	0.035
		73/3	0.130
		301/5	0.130
		300/3/1	0.120
		300/2	0.275
		133/2/2	0.035
		180/1	0.007
		190	0.090
		303/1/5	0.100
		74	0.030
		179	0.120

(1)	(2)
188/2	0.110
185	0.025
72/2	0.115
70	0.050
76/3	0.055
133/1, 133/2/1	0.185
योग . .	<u>7.118</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—सिंहपुर बैराज परियोजनांतर्गत नहर प्रणाली हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), लवकुशनगर में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 30-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छतरपुर
(ख) तहसील—चंदला
(ग) ग्राम—धरमपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि—1.540 हेक्टर.

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
566	0.115
563/1	0.106
560/2/1	0.102
560/3/3	0.286
568	0.008
558	0.042
569	0.104
560/5/1	0.341
561	0.102
567/1	0.087
553	0.053
552/2	0.106
560/2/2	0.088
योग . .	<u>1.540</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—सिंहपुर बैराज परियोजनांतर्गत नहर प्रणाली हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), लवकुशनगर में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 31-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छतरपुर
(ख) तहसील—लवकुशनगर
(ग) ग्राम—रनमऊ
(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि—1.096 हेक्टर.

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
454/2	0.169
447/1/1	0.024
454/1/2	0.108
447/1/2	0.077
453	0.450
455/2, 455/3	0.116
449	0.068
448	0.084
योग . .	<u>1.096</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—सिंहपुर बैराज परियोजनांतर्गत नहर प्रणाली हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), लवकुशनगर में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 45-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छतरपुर
(ख) तहसील—लवकुशनगर

- (ग) ग्राम—देवपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि—2.363 हेक्टर.

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
485	0.105
415/4	0.045
416/3	0.009
474/1	0.100
474/2	0.052
414	0.092
413	0.085
412	0.300
418	0.188
484	0.166
415/2	0.027
416/1	0.017
421	0.143
423	0.108
419	0.138
214/6	0.177
498	0.062
501/1	0.024
497	0.069
488	0.012
486	0.103
487	0.013
476	0.087
475	0.180
415/3	0.033
416/2	0.028
योग . .	<u>2.363</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—सिंहपुर बैराज परियोजनांतर्गत नहर प्रणाली हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), लवकुशनगर में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 46-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छतरपुर
(ख) तहसील—लवकुशनगर
(ग) ग्राम—गुढ़ा खुर्द
(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि—1.818 हेक्टर.

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
477	0.005
482/2	0.008
457/2/1	0.156
521	0.402
481	0.588
456	0.005
460, 461	0.227
476	0.315
519/1	0.050
462	0.062
योग . .	<u>1.818</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—सिंहपुर बैराज परियोजनांतर्गत नहर प्रणाली हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), लवकुशनगर में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 47-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छतरपुर
(ख) तहसील—चंदला

- (ग) ग्राम—नगरौली
(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि—2.636 हेक्टर.

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
87	0.101
296/1	0.044
63	0.166
295	0.094
251	0.047
309	0.063
311	0.016
246	0.029
177/1	0.090
84	0.173
263	0.252
299	0.010
175/2	0.007
136	0.180
133/3	0.105
252	0.128
267	0.153
135	0.058
294	0.046
300	0.120
301	0.004
304	0.195
308	0.034
178/2	0.062
175/1	0.155
174	0.023
89	0.022
176	0.108
253	0.042
254	0.109
योग . . .	2.636

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—सिंहपुर बैराज परियोजनांतर्गत नहर प्रणाली हेतु.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), लवकुशनगर में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 53-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छतरपुर

(ख) तहसील—लवकुशनगर

(ग) ग्राम—मुड़ेरी दक्षिणी

(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि—2.713 हेक्टर.

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
200/1	0.064
287	0.142
207	0.084
22/1	0.055
214	0.128
23	0.005
149 शामिल नं. 150	0.14
172	0.056
157	0.034
208	0.072
25	0.072
27	0.208
155	0.072
282	0.020
286	0.020
77, 79	0.060
78	0.084
21	0.079

(1)	(2)	(ग) ग्राम—रतनपारा	(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि—2.123 हेक्टर.
26	0.236		
22/2	0.015	खसरा	अर्जित रकबा
71	0.110	क्रमांक	(हे. में)
75	0.135	407	0.152
76	0.096	409/4	0.015
136/1	0.060	504	0.147
216	0.015	501	0.180
136/2	0.060	482	0.061
156	0.045	481	0.008
158	0.005	480	0.193
164	0.096	426	0.082
135	0.124	947	0.015
201/3	0.108	950	0.159
20	0.020	949	0.027
28	0.067	479/1/2	0.073
165/2	0.010	505	0.027
200/2	0.064	479/1/1	0.108
201/2	0.052	90/2	0.160
योग . . .	<u>2.713</u>	435/2/2	0.035
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—सिंहपुर बैराज परियोजनांतर्गत नहर प्रणाली हेतु.		424/2	0.032
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), लवकुशनगर में किया जा सकता है.		423	0.012
		90/1	0.092
		435/2/1	0.095
		435/1	0.101
		409/3	0.134
		425/2	0.045
		503	0.170
		योग . . .	<u>2.123</u>

प्र. क्र. 54-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छतरपुर
(ख) तहसील—लवकुशनगर

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—सिंहपुर बैराज परियोजनांतर्गत नहर प्रणाली हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), लवकुशनगर में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश बहुगुणा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 4 सितम्बर 2012

क्र. प्र.क्र. 1-अ-82-2011-12-भू-अर्जन-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार
(ख) तहसील—कुक्षी
(ग) ग्राम—रसवा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.007 हेक्टर.

सर्वे नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
143/2	0.140
143/3	0.240
144	0.335
145/1	0.350
145/2/1	0.180
145/2/2	0.182
145/3/1	0.380
177/2	0.170
172/2	0.015
178/2/2	0.015
योग . .	2.007

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—औंकरेश्वर परियोजना की मुख्य नहर आर.डी. 162.900 मी. से निकलने वाली डिस्ट्रीब्यूटरी क्र. 18 की आर.डी. 3370 मी. से 4300 मी. तक नहर के निर्माण हेतु

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी अधिकारी, कुक्षी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 30 मनावर, जिला धार के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. बी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 7 सितम्बर 2012

प्र.क्र. 04-अ-82-वर्ष 2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि संपत्ति की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—दमोह
(ख) तहसील—हटा/बटियागढ़
(ग) नगर/ग्राम—सिलापरी/हारट
(घ) लगभग क्षेत्रफल —0.47 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
तहसील हटा ग्राम सिलापरी	
72 में से	0.04
तहसील बटियागढ़ ग्राम हारट	
567 में से	0.06
570 में से	0.10
571 में से	0.06
572 में से	0.03
636 में से	0.10
629 में से	0.08
योग . .	0.47

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है—हटा-फतेहपुर-रजपुरा-सिलापरी-बाजना-दरगुवां पहुंच मार्ग निर्माण के अर्जन में आने वाली भूमि का निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, हटा एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड हटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(4) संभागीय प्रबंधक मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, सागर के कार्यालय में देखा जा सकता है.	(1)	(2)	
	2/2	0.180	
(5) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, हटा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.	17/3	0.090	
	4/1	0.190	
	7/1	0.101	
	7/3	0.333	
	7/6	0.205	
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, स्वतंत्र कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.	13/1	0.591	
	17/1	0.150	
	20	0.117	
कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग	18/1	2.430	
	18/6	0.166	
बैतूल, दिनांक 12 अगस्त 2012	18/8	0.846	
	18/2	0.200	
प्र. क्र. 42-अ-82-वर्ष 2011-12-भू-अर्जन-8021.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-	18/7	0.200	
	18/10	0.456	
	18/11	0.914	
	18/12	0.229	
	18/4	0.265	
	19/2	0.120	
अनुसूची	19/3	0.120	
(1) भूमि का वर्णन—	4/2	0.190	
	16/2	0.304	
(क) जिला—बैतूल	7/4	0.370	
(ख) तहसील—मुलताई	7/5	0.269	
(ग) नगर/ग्राम—मयावाड़ी	12	0.259	
(घ) पटवारी हल्का नम्बर—61	13/2	0.590	
(ङ) लगभग क्षेत्रफल—27.420 हेक्टेयर.	5	0.776	
खसरा नम्बर	9	0.359	
	(हे. में)		
(1)	(2)	14/4	0.283
2/1	0.180	6/1	0.178
3	0.425	8/1	0.647
6/2	0.178	7/2	1.279
8/2	0.320	10/1	0.519
14/1	0.101	14/2	0.445
14/3	0.183	36/7	0.100
15	0.926	36/14	0.445
17/2	0.567	22	0.534
10/2	0.052	68	0.365
11	0.202		

(1)	(2)	(ग) नगर/ग्राम—रिधोरा	
33/2	0.180	(घ) पटवारी हल्का नम्बर—60	
34	3.250	(ङ) लगभग क्षेत्रफल—40.459 हेक्टेयर.	
36/10	0.362	खसरा नम्बर	रकबा
36/11	0.457		(हे. में)
36/15	0.365	(1)	(2)
36/8	0.365	643/1	0.060
36/16	0.373	643/3	0.055
36/9	0.567	643/2	0.020
36/12	0.274	643/5	0.026
36/17	0.486	646/2	0.350
36/13	0.345	643/4	0.030
67	0.365	646/1	0.117
69	0.266	646/4	0.117
71/1	0.107	646/5	0.116
18/9	0.405	645	1.079
16/3	0.304	656	0.029
योग . . .	27.420	644	0.095
		741	0.026
		742	0.033
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—बादलडोह जलाशय निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.		750/2	0.719
		647	0.589
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.		750/1	0.606
		648	0.672
		651	0.520
(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.		737/2	0.048
		753	0.175
		652	0.500
बैतूल, दिनांक 12 सितम्बर 2012		653/1	0.200
		721/1	0.015
प्र. क्र. 43-अ-82-वर्ष 2011-12-भू-अर्जन-8022.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—		734/1	0.049
		738/1	0.101
		756/2	0.089
		653/2	0.311
		721/2	0.027
		734/2	0.072
		756/1	0.134
		738/2	0.152
		653/3	0.301
		721/3	0.028
(1) भूमि का वर्णन—		734/3	0.073
(क) जिला—बैतूल		756/3	0.134
(ख) तहसील—मुलताई			

(1)	(2)	(1)	(2)
723	0.048	758/3	0.124
654	0.048	758/2	0.183
743	0.174	758/4	0.064
746	0.231	758/5	0.182
655/1	0.120	758/6	0.065
655/2	0.026	760/2	0.265
657	0.012	762/1	0.410
719	0.130	762/4	0.210
737/1	0.527	762/2	0.207
720	0.100	762/3	0.210
722	0.068	764/1	0.295
735	0.162	764/2	0.247
739	0.029	764/3	0.202
736	0.134	764/4	0.454
738/3	0.152	764/5	0.437
744	0.174	767/9	0.526
745	0.313	767/10	0.250
747	0.154	765	0.886
748	0.121	766/4	2.265
749	0.142	766/1	0.455
750/3	0.113	766/5	0.910
751	0.178	767/1	0.250
752	0.174	767/8	1.856
761	0.450	767/11	0.256
759/9	0.040	767/2	0.239
754	0.210	767/4	0.146
759/8	0.109	767/6	0.120
755/1	0.210	767/5	0.246
755/2	0.041	767/7	0.140
757/3	0.024	825	1.529
759/6	0.218	826/5	0.275
757/1	0.024	826/2	0.216
759/1	0.040	826/4	0.264
759/3	0.294	827	0.613
760/1	0.264	828/1	0.282
757/2	0.025	828/3	0.205
759/2	0.040	828/2	0.283
759/4	0.154	828/4	0.184
759/7	0.162	830	1.160
758/1	0.182	831/1	0.935
758/7	0.183	831/2	0.924

(1)	(2)	(1)	(2)
831/3	0.924	304/11, 305	0.680
832/1	1.240	306/2, 316/1,	
832/3	0.040	317	
832/2	1.506	योग . .	<u>0.920</u>
832/4	0.040		
834/1	0.346		
834/2	0.256		
834/4	1.152		
834/7	0.810		
834/3	0.952		
834/5	0.385		
834/6	0.120		
834/8	0.050		
योग . .	<u>40.459</u>		

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—बादलडोह जलाशय निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.
- (4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

बैतूल, दिनांक 13 सितम्बर 2012

प्र. क्र. 9-अ-82-वर्ष 2011-12-भू-अर्जन-8079.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बैतूल
(ख) तहसील—आठनेर
(ग) नगर/ग्राम—देहगुड
(घ) पटवारी हल्का नम्बर—28
(ङ) लगभग क्षेत्रफल—0.920 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
304/14	0.240

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—बाकुड जलाशय निर्माण हेतु कृषि भूमि का (पूरक) भू-अर्जन.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, भैसदेही के न्यायालय में देखा जा सकता है.
- (4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 10-अ-82-वर्ष 2011-12-भू-अर्जन-8080.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बैतूल
(ख) तहसील—आठनेर
(ग) नगर/ग्राम—उमरी
(घ) पटवारी हल्का नम्बर—29
(ङ) लगभग क्षेत्रफल—0.811 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
57/1	0.317
51/4	0.072
42/6	0.105
42	0.101
42/7	0.053
42/3	0.163
योग . .	<u>0.811</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके के लिए भूमि की आवश्यकता है—बाकुड जलाशय के डूब क्षेत्र से प्रभावित पहुंच मार्ग निर्माण हेतु कृषि भूमि का भू-अर्जन.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, भैसदेही के न्यायालय में देखा जा सकता है.
- (4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 13-अ-82-वर्ष 2011-12-भू-अर्जन-8081.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बैतूल
- (ख) तहसील—आठनेर
- (ग) नगर/ग्राम—कोपरा
- (घ) पटवारी हल्का नम्बर—28
- (ङ) लगभग क्षेत्रफल—0.102 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
157/2	0.102
योग . .	0.102

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—बाकुड जलाशय के नहर निर्माण हेतु कृषि भूमि का (पूरक) भू-अर्जन.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, भैसदेही के न्यायालय में देखा जा सकता है.
- (4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 14-अ-82-वर्ष 2011-12-भू-अर्जन-8082.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बैतूल
- (ख) तहसील—आठनेर
- (ग) नगर/ग्राम—लालखेड़ी
- (घ) पटवारी हल्का नम्बर—29
- (ङ) लगभग क्षेत्रफल—0.443 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
146/14	0.101
146/4	0.101
146/13	0.145
144	0.005
105	0.061
106	0.025
108	0.005
योग . .	0.443

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—बाकुड जलाशय की लालखेड़ी सहायक नहर निर्माण हेतु कृषि भूमि का (पूरक) भू-अर्जन.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, भैसदेही के न्यायालय में देखा जा सकता है.
- (4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. चन्द्रशेखर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 17 सितम्बर 2012

क्र. भू-अर्जन-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सागर
(ख) तहसील—देवरी
(ग) ग्राम—फुलर, प.ह.नं. 28
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.59 हेक्टेयर.

खसरा नं. में से	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
2/1	0.02
3/1	0.09
3/2	0.09
4/2	0.07
5/2	0.03
5/1	0.29
योग . .	<u>0.59</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है—सतधारा जलाशय योजना के फुलर माईनर नहर निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 सागर, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, देवरी के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सागर
(ख) तहसील—देवरी

- (ग) ग्राम—देवरी पाठक प.ह.नं. 26 (माईनर नं. 4 आर. देवरी पाठक).
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.94 हेक्टेयर.

खसरा नं. में से	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
76	0.12
75/1	0.14
75/2	0.14
74/2	0.12
74/1	0.13
73/1	0.10
73/2	0.03
73/3	0.15
72	0.03
71	0.33
70	0.15
64/1	0.08
64/2	0.09
63	0.24
59/2	0.01
59/3	0.04
59/4	0.03
57	0.02
56	0.25
55	0.21
46/2	0.06
61	0.19
31	0.01
32	0.05
33/2	0.21
34	0.01
योग . .	<u>2.94</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है—समनापुर जलाशय योजना के माईनर नहर निर्माण क्षेत्र हेतु द्वारा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 1 सागर.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ई. रमेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 10 सितम्बर 2012

क्र. D-4798-दो-14-1-2012.—मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना पर निम्नलिखित सहायक, सहायक ग्रेड एक की पदोन्नति अनुभाग अधिकारी के रिक्त पद पर वेतनमान रु. 6500—200—10,500 (पुनरीक्षित वेतनबैण्ड रु. 9,300—34,800+ग्रेड पे रु. 4200) में अस्थायी एवं स्थानापन्न रूप से, आगामी आदेशपर्यन्त उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से की जाती है, एवं उन्हें कालम नंबर (3) में दर्शित स्थान पर पदस्थ करते हुए, निर्देशित किया जाता है कि यदि वे पदोन्नति स्वीकार करने से इंकार करते हैं तो उनकी पदोन्नति पर आगामी एक वर्ष तक विचार नहीं किया जावेगा. यदि वे पदोन्नति पर दिनांक 20 सितम्बर 2012 तक कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं तो वे लिखित में अपनी असहमति प्रस्तुत करेंगे कि वे पदोन्नति स्वीकार करने के इच्छुक नहीं हैं :—

क्र.	नाम एवं वर्तमान पदस्थापना	पदोन्नति पर पदस्थापना	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री हरिओम शिवहरे मुख्यपीठ जबलपुर	मुख्यपीठ जबलपुर	रिक्त पद पर.
2	श्री पी. सी. अग्रवाल मुख्यपीठ जबलपुर	मुख्यपीठ जबलपुर	रिक्त पद पर.
3	श्रीमती मंगला गुर्जर मुख्यपीठ जबलपुर	मुख्यपीठ जबलपुर	रिक्त पद पर.
4	श्री रामसखा तिवारी मुख्यपीठ जबलपुर	मुख्यपीठ जबलपुर	रिक्त पद पर.

क्र. D-4800-दो-14-1-2011.—(1) श्री राजेन्द्र कुमार पाण्डे, सहायक ग्रेड-एक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर की पदोन्नति अनुभाग अधिकारी के रिक्त पद पर वेतनमान रुपये 6500—200—10,500 (पुनरीक्षित वेतनबैण्ड रु. 9,300—34800+ग्रेड पे रु. 4200) में, अस्थायी एवं स्थानापन्न रूप से, आगामी आदेशपर्यन्त उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ ग्वालियर की स्थापना पर पदस्थ करते हुए निर्देशित किया जाता है कि वे कार्यभार दिनांक 20 सितम्बर 2012 तक अनिवार्य रूप से ग्रहण करें.

(2) यदि वे पदोन्नति पर स्थानांतरण के कारण कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं, तो इसका अर्थ यह लगाया जावेगा कि वे पदोन्नति पर स्थानांतरण के कारण नहीं जाना चाहते हैं. ऐसी स्थिति में पदोन्नति हेतु उनके नाम पर वर्तमान पदस्थापना के स्थान पर पद रिक्त होने पर पदोन्नति हेतु विचार किया जावेगा, परन्तु अन्य स्थानों (खण्डपीठ इन्दौर/ग्वालियर) पर उनके नाम पर विचार नहीं किया जावेगा.

(3) पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण नहीं करने की दशा में आप लिखित में यह सूचित करेंगे कि आप पदोन्नति पर स्थानांतरण के कारण नहीं जाना चाहते हैं.

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
सुभाष काकडे, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 10 सितम्बर 2012

क्र. 882-गोपनीय-2012-चार-12-31-72(भाग-चार-ए).—
डॉ. कुमारी महजबीन खान, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, विदिशा की प्रार्थना पर उनका गृह जिला “भोपाल” के स्थान पर “रीवा” परिवर्तित किये जाने की उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है. उनके संबंधित समस्त प्रपत्रों में उनका परिवर्तित गृह जिला अंकित किया जावे.

क्र. 884-गोपनीय-2012-चार-12-31-72(भाग-चार-ए).—
श्री नरेन्द्र कुमार सत्संगी, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, जबलपुर की प्रार्थना पर उनका गृह जिला “मण्डलेश्वर” के स्थान पर “बड़वानी” परिवर्तित किये जाने की उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है. उनके संबंधित समस्त प्रपत्रों में उनका परिवर्तित गृह जिला अंकित किया जावे.

क्र. 886-गोपनीय-2012-चार-12-31-72(भाग-चार-ए).—
श्री राजेन्द्र कुमार वाणी, चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन की प्रार्थना पर उनका गृह जिला “झाबुआ” के स्थान पर “अलीराजपुर” परिवर्तित किये जाने की उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है. उनके संबंधित समस्त प्रपत्रों में उनका परिवर्तित गृह जिला अंकित किया जावे.

क्र. 888-गोपनीय-2012-चार-12-31-72(भाग-चार-ए).—
श्री भारत सिंह रावत, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, सरदारपुर जिला धार की प्रार्थना पर उनका गृह जिला “झाबुआ” के स्थान पर “अलीराजपुर” परिवर्तित किये जाने की उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है. उनके संबंधित समस्त प्रपत्रों में उनका परिवर्तित गृह जिला अंकित किया जावे.

क्र. 890-गोपनीय-2012-चार-12-31-72(भाग-चार-ए).—
श्री संजय कुमार गुप्ता (सीनियर), उपायुक्त, कार्यालय वेलफेयर कमिश्नर, भोपाल गैस पीडित, भोपाल की प्रार्थना पर उनका गृह जिला “ग्वालियर” के स्थान पर “भिण्ड” परिवर्तित किये जाने की उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है. उनके संबंधित समस्त प्रपत्रों में उनका परिवर्तित गृह जिला अंकित किया जावे.

क्र. 892-गोपनीय-2012-चार-12-31-72(भाग-चार-ए).—
श्री संतोष कुमार कोल, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 मण्डला की प्रार्थना पर उनका गृह जिला “शहडोल” के स्थान पर “अनूपपुर” परिवर्तित किये जाने की उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है. उनके संबंधित समस्त प्रपत्रों में उनका परिवर्तित गृह जिला अंकित किया जावे.

जबलपुर, दिनांक 7 सितम्बर 2012

क्र. 877-गोपनीय-2012-दो-3-1-2012 (भाग-बी).— भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 (ट्रेनी जज) को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक (4) में दर्शित स्थान एवं स्तम्भ क्रमांक (6) में उल्लेखित नियमित न्यायालय में पदस्थ करते हुए उन्हें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 11 (3) के अन्तर्गत न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी की शक्तियां प्रदान करता है:—

सारणी

क्रमांक	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्रीमती अर्चना रघुवंशी	भोपाल	भोपाल	भोपाल	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.
2	श्रीमती अनु सिंह	जबलपुर	जबलपुर	जबलपुर	नवम् व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.
3	श्री विधान माहेश्वरी	भोपाल	भोपाल	भोपाल	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.
4	सुश्री निधि श्रीवास्तव	विदिशा	सागर	सागर	अष्टम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से नियमित नवनिर्मित न्यायालय में.
5	श्री विश्व दीपक तिवारी	सीहोर	मऊगंज	रीवा	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.
6	श्री कुसुम हर चक्रवती,	बुरहानपुर	बैदुन	बैदुन जिला (सिंगरौली)	चतुर्थ न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.
7	श्री गिरीश कुमार शर्मा	भोपाल	भोपाल	भोपाल	सप्तम् व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.
8	श्रीमती प्रीतिशिखा अग्निहोत्री	जबलपुर	जबलपुर	जबलपुर	दसवें व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.
9	सुश्री मधुलिका मुले	ग्वालियर	इंदौर	इंदौर	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.
10	कुमारी नेहा बंसल	ग्वालियर	रीवा	रीवा	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.
11	श्री अग्नीन्ध्र कुमार द्विवेदी	बड़वानी	राजपुर	बड़वानी	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 राजपुर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, राजपुर की हैसियत से.
12	सुश्री तबस्सुम खान	छिंदवाड़ा	छिंदवाड़ा	छिंदवाड़ा	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.
13	श्री शरद कुमार लटौरिया	टीकमगढ़	चुरहट	सीधी	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.
14	श्री प्रशांत पाण्डेय	रीवा	सिरमौर	रीवा	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से नियमित नवनिर्मित न्यायालय में.
15	श्री राममनोहर सिंह दांगी	दमोह	दमोह	दमोह	षष्ठम् व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.
16	श्री पंकज शर्मा	होशंगाबाद	जौरा	मुरैना	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
17	श्री मोहम्मद जफर खान	भोपाल	भोपाल	भोपाल	दसवें व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में
18	श्री मंयक कुमार शुक्ला	देवास	देवास	देवास	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में
19	श्री अरविंद श्रीवास्तव	सीहोर	आष्टा	सीहोर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 आष्टा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.
20	श्री अमित निगम	शिवपुरी	सिहोरा	जबलपुर	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से नियमित नवनिर्मित न्यायालय में
21	श्री अजय सिंह	सीधी	सीधी	सीधी	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में
22	श्री बृजेश सिंह	पन्ना	पन्ना	पन्ना	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.
23	श्री अनुराग सिंह कुशवाह	सतना	सतना	सतना	षष्ठम् व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से नियमित नवनिर्मित न्यायालय में
24	श्री अशोक कुमार त्रिपाठी	रीवा	त्योंथर	रीवा	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, त्योंथर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.
25	श्री अजय कुमार यदु	बालाघाट	बुढार	शहडोल	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.
26	सुश्री स्नेहा सिंह	कटनी	कटनी	कटनी	पंचम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से नियमित नवनिर्मित न्यायालय में
27	श्री अतुल यादव	रतलाम	नागदा	उज्जैन	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.
28	श्री अभिषेक सोनी	सिवनी	सिवनी	सिवनी	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.
29	श्री शिवचरण पटेल	शहडोल	खरगोन	मण्डलेश्वर	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से नियमित नवनिर्मित न्यायालय में
30	श्री आरिफ खान	इंदौर	मनासा	नीमच	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.
31	श्री राजेश नामदेव	सतना	सतना	सतना	सप्तम् व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से नियमित नवनिर्मित न्यायालय में
32	श्री बलवीर सिंह धाकड़	सीहोर	खनियाधाना	शिवपुरी	व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.
33	श्री धीरज कुमार	मुरैना	बिजावर	छतरपुर	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से नियमित नवनिर्मित न्यायालय में
34	श्री राकेश कुमार कुशवाह	हरदा	हरदा	हरदा	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, हरदा के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
35	श्री गिरजेश कुमार सनोडिया	नरसिंहपुर	निवास	मण्डला	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, निवास के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.
36	श्री संजोग सिंह वाघेला	खण्डवा	खण्डवा	खण्डवा	पंचम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.
37	श्री कमलेश मीणा	गुना	अशोकनगर	अशोकनगर	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से नियमित नवनिर्मित न्यायालय में
38	श्री विपेन्द्र सिंह यादव	रायसेन	गोहरगंज	रायसेन	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से नियमित नवनिर्मित न्यायालय में
39	श्री रमाकांत भारके	नरसिंहपुर	अमरवाड़ा	छिंदवाड़ा	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.
40	श्री रवि शंकर दोहरे	ग्वालियर	भितरवार	ग्वालियर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से नियमित नवनिर्मित न्यायालय में
41	श्री नवनीत सिंह यादव	भोपाल	भोपाल	भोपाल	ग्यारहवें व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.
42	श्री जयप्रताप चिड़ार	इंदौर	सिरोंज	विदिशा	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.
43	श्री विजय चौहान	धार	धार	धार	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से नियमित नवनिर्मित न्यायालय में
44	श्रीमती ज्योत्सना आर्य	शाजापुर	सांवेर	इंदौर	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से नियमित नवनिर्मित न्यायालय में
45	श्री रवि कुमार बौरासी	ग्वालियर	कसरावद	मण्डलेश्वर	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.
46	सुश्री सपना कौशल	इंदौर	महू	इंदौर	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से नियमित नवनिर्मित न्यायालय में
47	श्री प्रकाश कुमार उइके	नरसिंहपुर	भैंसदेही	बैतूल	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 भैंसदेही के न्यायालय, के अतिरिक्त न्यायाधीश, की हैसियत से.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
सुभाष काकडे, रजिस्ट्रार जनरल.